केंद्रीय आयोग के आयुक्त बनाम

मदन कृषि उद्योग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2009 की सिविल अपील सं. 1766)

अप्रैल 13,2018

[रंजन गोगोई और आर. भानुमती, जे. जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985–वर्गीकरण–शीर्ष 1513 या 3305–निर्धारिती द्वारा छोटे पात्रों में निर्मित और पैक किया गया नारियल तेल–चाहे वह शीर्ष 1513 के तहत वर्गीकृत किया जा सके या शीर्ष 3305 के तहत–आयोजितः(रंजन गोगोई, जे. के अनुसार) तत्काल मामले में, छोटे पैकेजों/पात्रों में पैक किया गया "नारियल तेल" "नारियल तेल" नहीं रह जाता है और "बाल तेल" बन जाता है, हालांकि ऐसा "नारियल तेल" दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसलिए, स्पष्ट रूप से अध्याय शीर्षक 1513 द्वारा कवर किया गया है न कि अध्याय शीर्षक 3305–(प्रति आर. भानुमति, जे.)। बाल तेल के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त छोटे पात्र में पैक किए गए नारियल तेल को अध्याय शीर्ष 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है–राय के मतभेद को देखते हुए, रजिस्ट्री ने इन अपीलों को उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

न्यायालय द्वारा रजिस्ट्री को मतभेद को देखते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपील करने का निर्देश देनाः

रंजन गोगोई, जे.–1.1 के अनुसार, अधिनियम के पूर्व–संशोधित प्रावधानों के तहत, नारियल तेल को किसी विशिष्ट शीर्षक के अंतर्गत नहीं लाया गया था और इसे शीर्षक 15.03 के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो शीर्षक संख्या 15.02 के अलावा निश्चित वनस्पति तेलों से संबंधित था।दूसरी ओर संशोधन से पहले शीर्षक 33.05 बालों पर उपयोग की तैयारी से संबंधित था।संशोधन के लागू होने के बाद, अध्याय 15 और 33 में शीर्षकों 1513 और 3305 में सुसंगत नामकरण प्रणाली (एच. एस. एन.) में निहित शीर्षकों और उप–शीर्षकों की सामग्री को वस्तुतः शामिल किया गया।शुल्क अधिनियम के संशोधन के बाद स्थिति यह है कि नारियल तेल के लिए एक विशिष्ट शीर्षक में पेश किया गया है

प्रशुल्क अधिनियम। जहाँ तक "बालों पर उपयोग की तैयारी" का संबंध है,

उप–शीर्षकों ने ऐसी विभिन्न वस्तुओं को और अधिक विशिष्ट बना दिया है।

उल्लेखनीय है कि बालों के तेल के रूप में उपयोग की तैयारी के रूप में नारियल का तेल हेडिंग 3305 या इसके किसी भी उप–हेडिंग में शामिल नहीं है।

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2008) 17 एस. सी. सी. 569:[2008] 2 एससीआर 531; ओ. के. प्ले (इंडिया) लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली–3, गुड़गांव

(2005) 2 एससीसी 460:[2005] 1 एससीआर 1069; ओके प्ले

(इंडिया) लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

दिल्ली–III, गुड़गांव (2005) 2 एससीसी 460:[2005] 1 एससीआर

1069; केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(2008) 17 एससीसी 569:[2008] 2 एस. सी. आर. 531–पर निर्भर था।

भारत–अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बनाम बिक्री आयुक्त

कर, यू. पी. 1981 (8) ई. एल. टी. 325 (एस. सी.) एशियन पेंट्स इंडिया

लिमिटेड वी.केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर 1988 (35) ई. एल. टी. 3 (एस. सी.); श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड बनाम.केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, नागपुर (1996) 9 एस. सी. सी. 402; अल्पाइन इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर,

नई दिल्ली (2003) 3 एससीसी 111:[2003] 1 एससीआर 313–प्रतिष्ठित।

राजस्थान ऑयल मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त

2014 (314) ई. एल. टी. 541 (न्यायाधिकरण); केंद्रीय कलेक्टर

आबकारी, शिलांग बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1995) 3

एससीसी 454:[1995] 2 एससीआर 797; के आयुक्त

सीमा शुल्क कैमलिन लिमिटेड बनाम केंद्रीय आयुक्त

आबकारी, मुंबई (2008) 9 एस. सी. सी. 82:[2008] 12 एस. सी. आर.

1223; वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्सप्रा. लि. बनामकमिश्नर

आयकर (2000) 5 एस. सी. सी. 373:[2000] 2 एस. सी. आर. 1169–संदर्भित।

1. 2 अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि 3305 शीर्षक अन्य बातों के साथ–साथ उन उत्पादों पर भी लागू होगा जो –

शीर्षक में उल्लिखित वस्तुओं के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है और यदि उन्हें ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखा जाता है।3305 शीर्षक "बालों पर उपयोग की तैयारी" से संबंधित है।पल भर में

इस मामले में, नारियल तेल की पैकेजिंग में, शिलालेख "खाद्य तेल" का उल्लेख किया गया है।पैकेजिंग में कोई प्रतिनिधित्व, घोषणा या विज्ञापन नहीं है कि इसका मतलब ए हो सकता है या हो सकता है। बालों के तेल के रूप में उपयोग किया जाता है।अधिनियम के टैरिफ आइटम **No**.3305 के तहत किसी उत्पाद को वर्गीकृत करने के लिए, सुसंगत नामकरण प्रणाली (एचएसएन) के अध्याय नोट 3 के व्याख्यात्मक नोट के खंड (ए) और (बी) की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होगी और सामान/पैकेजों पर लेबल/साहित्य और अन्य संकेत होने चाहिए कि वे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी के रूप में उपयोग के लिए हैं या सामान को इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप में रखा जाना चाहिए जैसे कि उदाहरण के लिए नाखून वार्निश को ब्रश के साथ छोटी बोतलों में रखा जाना चाहिए।विचाराधीन नारियल तेल के संबंध में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 में एच. एस. एन. के समान शर्तों पर किसी भी व्याख्यात्मक नोट के न होने से शायद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई फर्क पड़ेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम वुड क्राफ्ट

प्रोडक्ट्स लिमिटेड (1995) 3 एस. सी. सी. 454:[1995] 2 एससीआर 797–पर निर्भर था।

2. तत्काल मामले में नारियल तेल को अध्याय 15, शीर्ष 1513 के तहत अधिक उचित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है।अध्याय 15 के पीछे का विधायी इतिहास; टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 1513 में शब्द और अभिव्यक्तियाँ; प्रासंगिक शीर्षक अर्थात एच. एस. एन. में 1513 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 में निर्धारित शर्तों/आवश्यकताओं को एच. एस. एन. के अध्याय 33 के व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ अध्याय नोट 3 के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाता है, इन सभी से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलेगा कि नारियल तेल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अध्याय 15 के शीर्ष 1513 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

3. सर्कुलर असर संख्या की सामग्री। **No**.145/56/95–**CX** दिनांक 31.08.1995 यह स्पष्ट करता है कि किसी उत्पाद को अध्याय 33 शीर्ष 3305 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह विशेष रूप से "बालों पर उपयोग के लिए" तैयार किया गया है और इस तरह के प्रभाव के लिए पात्र पर कोई लेबल/साहित्य आदि नहीं है।केवल अगर पात्रों पर लेबल/साहित्य होता है जो यह दर्शाता है कि यह बालों पर उपयोग के लिए है, तो विवादित नारियल तेल अध्याय 33 के तहत वर्गीकरण के योग्य हो सकता है। अध्याय टिप्पणी 2 के स्थान पर अध्याय टिप्पणी 3 डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बावजूद उपरोक्त पद इस क्षेत्र में बना रहेगा।

स्पष्टीकरण नोट 3 के साथ पठित एच. एस. एन. के अध्याय संख्या 3 में शामिल समान शर्तें और शर्तें जिन्हें न्यायालय ध्यान में रखने के लिए बाध्य होगा।[पैरा 34] [418–जी; 419–ए–बी]

राज ऑयल मिल्स लिमिटेड बनामआयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क

2014 (314) ई. एल. टी. 541 (ट्राई.–मुंबई)–संदर्भित।

प्रति आर. भानुमति, जेः–1. अध्याय टिप्पणी 3 से लेकर अध्याय 33 तक और धारा 6 से धारा टिप्पणी 2 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, छोटे पाउच/पात्रों में पैक किए गए 'नारियल तेल' को अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि अध्याय 15 के तहत।अध्याय टिप्पणी 3 से अध्याय 33 को विशिष्ट तरीके से नहीं लिखा गया है।यह केवल उन शर्तों को दोहराता है जो किसी निश्चित उत्पाद के लिए टैरिफ आइटम 33 03 से 33 07 शीर्षक के तहत योग्यता वर्गीकरण के लिए संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं।द.

'इन शीर्षकों के माल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त' और 'ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखें' जैसा कि नोट में उपयोग किया गया है।

अध्याय 33 का 3 इंगित करता है कि बाल तेल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त तेलों को शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।. 33 05. भले ही उनका उपयोग न किया गया हो।

क्या मायने रखता है, 'इस तरह के उपयोग के लिए उपयुक्तता' और 'एक की पैकिंग' है

इस तरह के उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचा गया प्रकार '।संशोधित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यदि 'बाल तेल, अन्य' के रूप में वर्गीकरण के लिए नोट 3 से अध्याय 33 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उत्पाद को केवल शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए।. 33 05. और कोई अन्य वर्गीकरण अनुमत नहीं है।इस स्थिति को धारा **VI** की संशोधित धारा टिप्पणी 2 द्वारा और स्पष्ट किया गया है। [पैरा 1,14] [420–बी; 427–ए–सी]

2. पहली अनुसूची की धारा **VI** की धारा टिप्पणी 2 बहिष्कृत करने वाली प्रकृति की है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि यदि कोई वस्तु शीर्षक के तहत वर्गीकृत की जा सकती है।. 33 05. इसे अनुसूची के किसी अन्य शीर्षक में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।धारा **VI** के नोट 2 के प्रावधानों के अनुसार, यदि शीर्षक के तहत 'बाल तेल' के रूप में वर्गीकरण के लिए अध्याय नोट 3 में निर्दिष्ट शर्तें हैं।. 33 05. संतुष्ट हैं, तो उत्पाद को केवल शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना है।. 33 05. और कोई अन्य वर्गीकरण अनुमत नहीं है।यदि अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत शीर्षक के तहत 'बाल तेल' के रूप में विवादित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए।. 33 05. संतुष्ट हैं तो उत्पाद को केवल अध्याय 33 के तहत

माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और धारा नोट 2 से धारा **VI** के आधार पर किसी अन्य वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।

3. "बाल तेल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्तता" और "इस तरह के उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाने" के कारण,

धारा 6 की धारा टिप्पणी 2 के अनुसार, अध्याय 15 के तहत उनका वर्गीकरण 'स्थिर सब्जियों के तेल' या 'नारियल के तेल' के रूप में किया गया है, जैसा कि दावा किया गया है, शुल्क उप–शीर्षक को दी गई प्रधानता को देखते हुए उत्पन्न नहीं होता है।. 33 05. धारा **VI** के लिए टिप्पणी 2 द्वारा। आगे टिप्पणी 1 (ई) से अध्याय 15 तक

यह प्रावधान है कि "अध्याय धारा **VI** के माल को शामिल नहीं करता है"।

अध्याय 15 के नोट 1 (ई) में धारा **VI** के तहत आने वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है जिसमें अध्याय 33 टैरिफ आइटम 33 05 वस्तुओं में से एक है।

सहायक आयुक्त बनाम मैरिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 446; मैरिको लिमिटेड बनाम आयुक्त,

वाणिज्यिक कर, यूपी (2015) 78 वीएसटी 423;

भारत और ओआरएस. वी.भारतीय कीटनाशक विनिर्माण और सूत्रीकरण संघ,

(2002) 8 एस. सी. सी. 410:

[2002] 3 पूरक।एस. सी. आर. 232–संदर्भित।

4. कोई विशेष वस्तु किसी विशेष शुल्क शीर्षक के अंतर्गत आएगी या नहीं, यह इस आधार पर तय किया जाना चाहिए कि उस वस्तु को 'सामान्य बोलचाल' में या 'वाणिज्यिक दुनिया' में कैसे समझा जाता है, न कि वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ के अनुसार।केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 3 का अध्याय 15 "पशु या पशु" से संबंधित है।

सब्जी वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम।उप–प्रमुख 1513 के बारे में नारियल (कोपरा)।यह आम जानकारी की बात है कि देश के कई हिस्सों में 'नारियल तेल' का व्यापक रूप से 'हेयर ऑयल' के रूप में उपयोग किया जाता है और आमतौर पर खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग देश के कुछ ही क्षेत्रों में खाद्य तेल के रूप में किया जाता है।आम तौर पर कोई भी 'नारियल तेल' का अर्थ केवल खाद्य तेल के रूप में नहीं समझेगा क्योंकि यह 'खाद्य तेल' का प्रमुख उपयोग नहीं है।सामान्य बोलचाल परीक्षण और 'उत्पाद का अंतिम उपयोग' को लागू करते हुए, नारियल तेल को मुख्य रूप से उपयोगकर्ता अर्थात् विक्रेताओं/उपभोक्ताओं द्वारा केवल 'हेयर ऑयल' के रूप में समझा

जाता है न कि 'खाद्य तेल' के रूप में और इसलिए, केवल अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और अध्याय 15 के तहत नहीं।

एशियन पेंट्स लिमिटेड बनामकलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज (1988) 2 एस. सी. सी. 470; प्लाजमैक मशीन मैन्युफैक्चरिंग कं. (पी) लिमिटेड बनाम.केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे (1991) 1

पूरक।एससीसी 57:[1990] 3 पूरक।एससीआर 384; डाबर

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त,

जमशेदपुर (2005) 4 एससीसी 9:[2005] 3 एससीआर 144;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम वॉकहार्ट लाइफ

साइंसेज लिमिटेड (2012) 5 एस. सी. सी. 585;

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली बनाम कैरियर एयरकॉन लिमिटेड (2006) 5

एससीसी 596:[2006] 3 पूरक।एससीआर 254; जैन निर्यात

प्रा. लि. बनामभारत संघ 1987 (29) ई. एल. टी. 753 डेल; बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर बनाम जसवंत सिंह चरण सिंह ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1454:[1967] एससीआर 720; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम कनॉट प्लाजा रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

दिल्ली (2012) 13 एस. सी. सी. 239:[2012] 11 एससीआर 365; अल्पाइन

उद्योग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली (2003) 3 एस. सी. सी. 111; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम शर्मा केमिकल वर्क्स (2003) 5 एस. सी. सी. 60; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम वुड्स क्राफ्ट

उत्पाद लिमिटेड (1995) 3 एस. सी. सी. 454:[1995] 2 एससीआर 797;

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम

फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2008) 17 एस. सी. सी. 569:[2008]

2 एससीआर 531; ओ. के. प्ले (इंडिया) लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त दिल्ली–III, गुड़गांव (2005) 2 एस. सी. सी. 460:[2005] 1 एससीआर 1069; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2008) 17 एससीसी 569:[2008] 2 एस. सी. आर. 531–पर निर्भर था।

कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनामसीसीई 2002 (139 ईएलटी 633 (टी); श्रीकांत सैचेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम.सी. सी. ई. 2005 (180) ई. एल. टी. 401 (टी); केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम एसेन उत्पाद

(आई) लिमिटेड 2006 (200) ई. एल. टी. 342 (टी)–निर्दिष्ट।

5. 1 पूर्व–संशोधित अनुसूची (सी. ई. टी. ए. संशोधन से पहले) में भी एच. एस. एन. टिप्पणियों की तरह ही कठोरता थी जैसे "उत्पाद"।

विशेष उपयोग सहित लेबल और साहित्य की आवश्यकता होती है "(जैसे

अध्याय टिप्पणी 2 से अध्याय 33)।हालाँकि, 28.02.2005 से प्रभावी संशोधन के बाद, संसद ने जानबूझकर इस शीर्षक के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए समान कठोरता को लागू या नहीं रखने का फैसला किया और उसे हटा दिया।संसद ने जानबूझकर और सचेत रूप से सी. ई. टी. ए. की टैरिफ अनुसूची के अध्याय 33 के नए (पुनः क्रमांकित) अध्याय नोट 3 में इन शर्तों को हटा दिया। इसलिए, इन शर्तों को लागू करना, संशोधन के बाद संसद के इरादे के खिलाफ होगा।अतः वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए एच. एस. एन. चैप्टर नोट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, बल्कि सी. ई. टी. ए. टैरिफ चैप्टर नोट पर विचार किया जाना चाहिए।

धारा **VI** के लिए एच. एस. एन. सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ कुछ हद तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की शुल्क अनुसूची में निहित टिप्पणियों के विपरीत हैं।इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में निहित नोट एच. एस. एन. में निहित नोटों पर हावी होंगे। सी. ई. टी. ए. में संशोधन के बाद, सी. ई. टी. ए., 1985 की टैरिफ अनुसूची में दिए गए नोटों की तुलना में एच. एस. एन. में दिए गए प्रासंगिक नोटों के बीच एक भौतिक अंतर है।एच. एस. एन. में दिए गए सामान्य स्पष्टीकरण को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एच. एस. एन. में टिप्पणियों की व्याख्या करने के लिए खड़े हैं जो सी. ई. टी. ए. की टैरिफ अनुसूची में निहित टिप्पणियों से भौतिक रूप से अलग हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम वुड्स क्राफ्ट उत्पाद लिमिटेड (1995) 3 एस. सी. सी. 454: [1995] 2 एससीआर 797;

कैमलिन लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई (2008) 9 एससीसी 82:[2008] 12 एससीआर 1223; राज ऑयल मिल्स लिमिटेड बनामआयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क **2014 (314) ई. एल. टी. 541 (ट्राई.–मुंबई)–संदर्भित।मामला कानून संदर्भ**

रंजन गोगोई के अनुसार, जे.

2014 (314) ई. एल. टी. 541 (न्यायाधिकरण)

पैरा 11

[1995] 2 एससीआर 797

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2008] 2 एससीआर 531

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

[2005] 1 एससीआर 1069

उस पर भरोसा करें

पैरा 12

1981 (8) ई. एल. टी. 325 (एस. सी.) विशिष्ट पैरा 15 1988 (35) ई. एल. टी. 3 (एस. सी.) विशिष्ट पैरा 16 (1996) 9 एस. सी. सी. 402 विशिष्ट पैरा 17 [2003] 1 एस. सी. आर. 313 विशिष्ट पैरा 18 [2008] 12 एस. सी. आर. 1223 पैरा 30 [2000] 2 एस. सी. आर. 1169 को संदर्भित पैरा 35

प्रति आर. भानुमति, जे.

2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 446 पैरा 22 यू. पी. (2015) 78 वी. एस. टी. 423 पैरा 22 [2002] 3 सप्ली को संदर्भित किया गया है।पैरा 35 2005 (180) ई. एल. टी. 401 (टी) पैरा 35 2006 (200) ई. एल. टी. 342 (टी) पैरा 35 (1988) 2 एस. सी. सी. 470 को संदर्भित एस. सी. आर. 331, पैरा 35 2005 (180) ई. एल. टी. 401 (टी) पर निर्भर करता है।

पैरा 36

पैरा 37

[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 384 ने [2005] 3 एस. सी. आर. 144 पर भरोसा किया

पैरा 38

(2012) 5 एससीसी 585

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2006] 3 पूरक।एस. सी. आर. 254 पर निर्भर

पैरा 40

1987 (29) ई. एल. टी. 753 डेल

पैरा 42

पैरा 46

उस पर भरोसा करें

[1967] एससीआर 720

[2012] 11 एससीआर 365

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[2003] 3 एससीसी 111

उस पर भरोसा करें

पैरा 48

[2003] 5 एससीसी 60

उस पर भरोसा करें

पैरा 48

[1995] 2 एससीआर 797

उस पर भरोसा करें

पैरा 51

पैरा 51

[2008] 2 एससीआर 531

उस पर भरोसा करें

[2005] 1 एससीआर 1069

उस पर भरोसा करें

पैरा 51

[2008] 2 एससीआर 531

उस पर भरोसा करें

पैरा 53 [1995] 2 एस. सी. आर. 797 पैरा 59 [2008] 12 एस. सी. आर. 1223 पैरा 60 2014 (314) ई. एल. टी. 541

(**Tri.–Mumbai**)

संदर्भित किया गया है

पैरा 64 ए

केंद्रीय उद्योग आयुक्त बनाम मदन कृषि उद्योग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2009 की सिविल अपील No.1766

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, चेन्नई में दक्षिण क्षेत्रीय पीठ के निर्णय और आदेश संख्या 638/08 दिनांक 25.06.2008 से अपील संख्या। ई/111/08 एमएएस

के साथ

2009 की सिविल अपील सं. 6703–6710।

ए. के. पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुनीता रानी सिंह, एच. आर. राव, सुश्री कीर्ति दुआ, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

एस. के. बागरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, अभिनव अग्रवाल, हिमांशु सतीजा, सुश्री मान्या भारद्वाज, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय के निर्णय और आदेश दिए गए थे

रंजन गोगोई, जे. 1.सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) (जिसे इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित आदेशों से व्यथित होकर यह अभिनिर्धारित करते हुए कि प्रतिवादी (निर्धारिती) द्वारा "छोटे पात्रों" में निर्मित और पैक किया गया

नारियल तेल शीर्ष 1513 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के शीर्ष 3305 के तहत, राजस्व हमारे समक्ष अपील में है।

2. यह विवाद मेसर्स मदन एग्रो इंडस्ट्रीज के मामले में 2 लीटर तक के पैकेजिंग में नारियल तेल के वर्गीकरण के संबंध में है, जो 2009 की सिविल अपील में प्रतिवादी–निर्धारिती है और संबंधित अपीलों में प्रतिवादी (ओं)–निर्धारिती (ओं) के मामले में 500 मिलीलीटर तक की पैकेजिंग के संबंध में है।विचाराधीन सभी अपीलों में मूल्यांकन की प्रासंगिक अवधि 2004 के संशोधन अधिनियम (2005 का 5) द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के संशोधन के बाद है जो 28.2.2005 पर लागू हुआ था।

3. संक्षेप में, तथ्यों को शुरुआत में नोट किया जा सकता हैः

2009 की सिविल अपील No.1766 में प्रत्यर्थी अर्थात मेसर्स मदन एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड "शांति" ब्रांड नाम के तहत विपणन किए जाने वाले 100% शुद्ध नारियल तेल का निर्माता है/था।2009 की सिविल अपील Nos.6703–6710 में निर्धारिती चार नौकरी–कर्मचारी हैं।

मेसर्स मैरिको लिमिटेड ने मैरिको लिमिटेड से शुद्ध नारियल तेल थोक में प्राप्त किया था और उसके बाद उसे छोटे पैकेजों में पैक किया था, जिन्हें जारी किए गए प्रेषण कार्यक्रम के अनुसार मैरिको को वापस आपूर्ति की गई थी।विचाराधीन पैकेजों में एक घोषणा थी कि उनमें 100% शुद्ध नारियल का तेल है।पैक पर ट्रेडमार्क "पैराशूट" भी अंकित है।2009 के सिविल अपील No.1766 में, पैकेजिंग में 5 मिली के पाउच भी शामिल थे।सभी थैलों को "खाद्य तेल" के रूप में चिह्नित किया गया है।

4. इस स्तर पर यह भी देखा जा सकता है कि पैकिंग का आकार खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश 1998 की अनुसूची I के खंड 5 की आवश्यकता के अनुरूप है जिसे वजन और माप (पैकेज्ड वस्तुएं) नियम 1977 के मानकों की क्रमिक No.10 अनुसूची III के साथ पढ़ा जाता है।

5. जहां निर्धारिती (ओं) ने तर्क दिया कि छोटे पैकेजिंग में नारियल तेल को भी शीर्ष 1513 के तहत नारियल तेल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, राजस्व ने शीर्ष 3305 के तहत उक्त उत्पादों को "बाल तेल" के रूप में वर्गीकृत करने का दावा किया, जबकि यह स्वीकार किया कि बड़े पैकेजिंग में नारियल तेल यानी 2 किलोग्राम से अधिक, शीर्ष 1513 के तहत योग्य वर्गीकरण है।वर्तमान मामले में पक्षों के बीच यह मुख्य विवाद है।

6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रभावी संशोधन से पहले और बाद में प्रासंगिक शीर्षकों के लिए एक विशिष्ट सूचना की आवश्यकता होगी और इसलिए इसे नीचे निकाला गया हैः

संशोधन से पहले अध्याय 15

पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके शुद्ध उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या वनस्पति वसा

नोट्स 1.इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:(ए) सुअर वसा या मुर्गी वसा;

(ख) कोको बटर, वसा और तेल (अध्याय 18); (ग) अध्याय 21 की खाद्य तैयारी; (घ) अध्याय 23 की साग और अवशेष;

(ई) फैटी एसिड, तैयार मोम, दवाएं, पेंट, वार्निश, साबुन, इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय की तैयारी, सल्फोनेटेड तेल या धारा VI के अन्य सामान; या

(च) तेलों से प्राप्त तथ्य (अध्याय 40)।

2. साबुन-स्टॉक, ऑयल फुट और ड्रेग, स्टियरिन पिच, ग्लिसरॉल पिच और ऊन तेल के अवशेष शीर्षक संख्या 15.07 में आते हैं।

3. इस अध्याय में 'स्थिर वनस्पति तेल' शब्द का अर्थ है ऐसे तेल जिन्हें बिना अपघटन के आसानी से आसुत नहीं किया जा सकता है, जो वाष्पशील नहीं होते हैं और जिन्हें अत्यधिक गर्म भाप (जो उन्हें विघटित और सपोनीकृत करती है) द्वारा ले जाया नहीं जा सकता है।

4. उप-शीर्षक संख्या 1502.00,1503.00,1504.00 और 1508.90 के उत्पादों के संबंध में, कंटेनरों की लेबलिंग या पुनः लेबलिंग और थोक पैक से खुदरा पैक में पुनः पैकिंग या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अपनाना, "निर्माण" के बराबर होगा।

हेडिन जी

उप-शीर्षक

वस्तुओं का विवरण

दर

नहीं।

नहीं।

ओ एफ

कर्तव्य

15.01 1501.00 एक इमाल (क्लूडिंग मछली में) वसा और तेल एस, क्रुड ई,

नील

परिष्कृत या शुद्ध किया गया

15.02 1502.00 स्थिर वनस्पति तेल, थ ई फो लो विंग, अर्थात् कोटन बीज तेल, नीम का तेल, करंज तेल, रेशम के कपास के बीज का तेल, चावल की भूसी का तेल, खाखन तेल, ताड़ का तेल, तरबूज का तेल, साल का तेल, महुआ का तेल, कुसुम तेल, रबड़ के बीज का तेल, आम की गुठली का तेल, कोक उम ओ इल, धूपा तेल, उंडी तेल, मारो टी तेल, पीसा तेल और नाहोर तेल, एक तिहाई एयर अंश।

8 प्रतिशत

15.03 1503.00 स्थिर वनस्पति तेल, के अलावा अन्य

8 प्रतिशत

शीर्षक संख्या. 15.02

15.04 1504.00 वनस्पति वसा और तेल और उनके अंश,

8 प्रतिशत

आंशिक रूप से या पूरी तरह से हाइड्रो जेनेटेड, इंट एररीफाइड, री–एस्ट इरेडिनीज्ड या इरेडिनीज्ड, जो उसे तैयार करने के लिए ईथर या रीफाइन्ड नहीं किया जाता है।

जी.

15.05 33.03.00 हटा दिया गया

8 प्रतिशत

15.06 1506.00 Gl ycerol, कच्चा, ग्लिसरॉल वाटर और

16 प्रतिशत

दुनिया भर के लोग

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15.07 1507.00 सब्जी मोम (ट्राइग्लिसराइड्स के अलावा),

16 प्रतिशत

मोम, अन्य कीट मोम और शुक्राणु, चाहे परिष्कृत या रंगीन; डीग्रास; पशु या वनस्पति मोम के वसायुक्त पदार्थों के उपचार के परिणामस्वरूप अवशेष

15.08

मार्जरीन; खाद्य मिश्रण या पशु या सब्जी वसा की तैयारी; पशु या सब्जी वसा और तेल, उबले हुए, ऑक्सीकृत, निर्जलित, सल्फरयुक्त, उड़ाए गए, निर्वात में या निष्क्रिय गैस में या अन्यथा रासायनिक रूप से संशोधित गर्मी द्वारा बहुलककृत; इस अध्याय के वसा और तेलों का अखाद्य मिश्रण या तैयारी

16 प्रतिशत

1508.10–लिनोक्सिन

16 प्रतिशत

1508.90–अन्य

8 प्रतिशत ए

संशोधन से पहले अध्याय 33

.

आवश्यक तेल और रिसिनोइड्स; परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक या टॉयलेट की तैयारी

टिप्पणियाँः1. इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल नहीं हैंः

(ए) प्राकृतिक ओलियोरेसिन या शीर्षक संख्या 13.01 के वनस्पति अर्क;

(ख) साबुन या शीर्षक 34.01 के अन्य उत्पाद;

(ग) गम, लकड़ी या सल्फेट तारपीन या अध्याय 38 के अन्य उत्पाद; या

(घ) अल्कोहल या अफीम, भारतीय भांग या अन्य मादक पदार्थों से युक्त इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी और इस उद्देश्य के लिए, इन अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की धारा 2 में दिया गया है।

2. शीर्ष संख्या 33.03 से 33.07 तक, अन्य बातों के साथ–साथ, उत्पादों पर लागू करें, चाहे वे मिश्रित हों या नहीं (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो उपयोग के लिए उपयुक्त हैं। इन शीर्षकों के सामान और लेबल, साहित्य या अन्य संकेतों के साथ पैकेजिंग में लगाए गए कि वे सौंदर्य

प्रसाधन या शौचालय की तैयारी के रूप में उपयोग के लिए हैं या इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप में रखे गए हैं और इसमें उत्पाद शामिल हैं चाहे उनमें सहायक दवा या एंटीसेप्टिक घटक हों या नहीं, या जिन्हें सहायक उपचारात्मक या रोगनिरोधी मूल्य के रूप में माना जाता है।

3. 'इत्र, सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी' शीर्षक संख्या 33.07 निम्नलिखित उत्पादों पर लागू होता है।सुगंधित थैले; सुगंधित कागज और सौंदर्य प्रसाधनों के साथ सुगंधित या लेपित कागज; संपर्क लेंस या कृत्रिम नेत्र समाधान; वाडिंग, महसूस और गैर-बुने हुए, सुगंधित, लेपित या इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों से ढके हुए; पशु शौचालय की तैयारी।

4. सिरलेख संख्या 33.03,33.04 और 33.05 के उत्पादों के संबंध में, पाउडर को टैबलेट में बदलना, उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कंटेनरों की लेबलिंग या रीलेबलिंग या थोक पैक से खुदरा पैक में रीपैकिंग या उत्पादों को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अपनाना, को 'निर्माण' के रूप में माना जाएगा।

5. शीर्षक संख्या 33.04 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उत्पादों पर लागू होता हैः ब्यूटी क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, मेकअप क्रीम, क्लींजिंग क्रीम, स्किन फूड, स्किन टॉनिक, फेस पाउडर, बेबी पाउडर, टॉयलेट पाउडर, टैल्कम पाउडर और ग्रीस पेंट, लिपस्टिक, आई शैडो और आईब्रो पेंसिल, नेल पॉलिश और वार्निश, क्यूटिकल रिमूवर और त्वचा की जलन से सुरक्षा के लिए मैनीक्योर या कायरोपोडी और बैरियर क्रीम में उपयोग के लिए अन्य तैयारी।

6. शीर्षक संख्या 33.05 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उत्पादों पर लागू होता है। ब्राइटलाइन, सुगंधित बाल तेल, बाल लोशन, पोमेड और क्रीम, बाल रंग (किसी भी रूप में), शैम्पू, चाहे उनमें साबुन हो या जैविक सतह सक्रिय एजेंट हों।

7. 33.02 शीर्षक में "गंधयुक्त पदार्थ" अभिव्यक्ति केवल उन पदार्थों से अलग किए गए गंधयुक्त घटकों या सिंथेटिक सुगंधित पदार्थों के लिए शीर्षक संख्या 33.01 के पदार्थों को संदर्भित करती है।

अध्याय 33 कॉस्मेटी सी या शौचालय की तैयारी, आवश्यक तेल आदि।

शीर्षक

उप–शीर्षक

वस्तुओं का विवरण

की दर

नहीं।

नहीं।

कर्तव्य

33.05

बालों पर उपयोग के लिए तैयारी 3305.10–बालों पर उपयोग के लिए सुगंधित

16 प्रतिशत

– और भी

3305.91

– हेयर फिक्सर

16 प्रतिशत

3305.99–अन्य

16 प्रतिशत ए

पोस्ट संशोधन

अध्याय 15

पशु या सब्जी वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम

नोट्स 1.इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:(ए) 0209 शीर्षक का सुअर वसा या मुर्गी वसा; (बी) कोको मक्खन, वसा या तेल (1804 शीर्षक);

(ग) 0405 शीर्षक के उत्पादों के 15 प्रतिशत से अधिक वजन वाले खाद्य पदार्थ (आम तौर पर अध्याय 21);

(घ) ग्रीव्स (शीर्ष 2301) या शीर्षकों के अवशेष 2304 से 2306 तक;

(ई) फैटी एसिड, तैयार मोम, दवाएं, पेंट, वार्निश, साबुन, इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय की तैयारी, सल्फोनेटेड तेल या धारा VI के अन्य सामान; या

(च) तेलों से प्राप्त तथ्य (शीर्षक 4002)।

2. 1509 शीर्षक विलायक निष्कर्षण द्वारा जैतून से प्राप्त तेलों पर लागू नहीं होता है (शीर्षक 1510)।

3. 1518 शीर्षक में वसा या तेल या उनके अंश शामिल नहीं हैं, जो केवल विकृत हैं, जिन्हें संबंधित अप्राकृतिक वसा और तेलों और उनके अंशों के लिए उपयुक्त शीर्षक में वर्गीकृत किया जाना है।

4. साबुन स्टॉक, ऑयल फुट और ड्रेग, स्टियरिन पिच, ग्लिसरॉल पिच और वूल ग्रीस अवशेष 1522 के शीर्ष पर आते हैं।

अध्याय 33 कॉस्मेटी सी या शौचालय की तैयारी, आवश्यक तेल आदि।

की दर

5. 1507 या 1508 या 1509 या 1510 या 1511 या 1512 या 1513 या 1514 या 1515 या 1518 उपशीर्षक 1516 20 या 1517 90 या शुल्क मद 1517 10 10 या 1517 10 21 या 1517 10 29 के संबंध में, कंटेनरों की लेबलिंग या पुनः लेबलिंग या थोक पैक से खुदरा पैक में पुनः पैकिंग या उपभोक्ता को उत्पाद को विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अपनाना, 'निर्माण' के बराबर होगा।

कर्तव्य

16 प्रतिशत

16% 16%

6. 1507 से 1515 तक के शीर्षकों के तहत आने वाले परिष्कृत खाद्य वनस्पति तेलों के संबंध में, शोधन की प्रक्रिया, अर्थात, किसी भी एक या अधिक प्रक्रियाओं, अर्थात्, क्षार के साथ कच्चे तेल का उपचार, ब्लीचिंग और डिओडोराइजेशन, 'निर्माण' के बराबर होगी।

उपशीर्षक टिप्पणीः

1. उपशीर्षक 1514 11 और 1514 19 के उद्देश्य के लिए, "लो एरुसिक एसिड रेप या कोल्ज़ा ऑयल" अभिव्यक्ति का अर्थ है स्थिर तेल जिसमें एरुसिक एसिड की मात्रा वजन के हिसाब से 2 प्रतिशत से कम है।

पूरक टिप्पणियाँः

1. इस अध्याय में, खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट बी में निर्दिष्ट माल (अर्थात खाद्य तेल) के संबंध में "खाद्य श्रेणी" से उस परिशिष्ट में ऐसी वस्तुओं के लिए निर्दिष्ट गुणवत्ता का मानक अभिप्रेत है।

2. इस अध्याय में "स्थिर वनस्पति तेल" का अर्थ है ऐसे तेल जिन्हें बिना अपघटन के आसानी से आसुत नहीं किया जा सकता है, जो वाष्पशील नहीं होते हैं और जिन्हें अत्यधिक गर्म भाप (जो उन्हें विघटित और सपोनीकृत करती है) द्वारा ले जाया नहीं जा सकता है।

शुल्क

माल की इकाई दर का विवरण

वस्तु

कर्तव्य

1513 नारियल (कोपरा), फ्लाम कर्नेट या बाबासु तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं

– नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंशः

15 13 11 00–क्रोर उद ई ओ इल

किग्रा। 8 प्रतिशत

15 13 19 0 0–ओ द आर

किग्रा। 8 प्रतिशत

– पी अल्म केर्न ई एल या बी ए एस यू ऑयल ए एन डी फ्रैक टीओ एन एस टी ई आर ई ओ एफः

15 13 21–क्र. उद. इल्ः

15 13 21 1 0–पी अल्म के आर ने लो इल

किग्रा। 8 प्रतिशत

किग्रा। 8 प्रतिशत

15 13 21 2 0–बा बेस सु ओइ एल

15 13 29–ओ द आर

15 13 29 1 0–पी अल्म के आर ने लो एन डी अपने फ्रा सी टीओ एनएस किग्रा। 8 प्रतिशत 15 13 29 2 0–एक बास सू तेल और उसके उत्पादन से

किग्रा। 8 प्रतिशत

ग्रा डी ई

15 13 29 3 0–बा बेस सु ओ एन डी इसका अंश एस, ओथ एर

किग्रा। 8 प्रतिशत

ए एन एडिब ले जी रा डी ई

15 13 29 9 0–ओ द आर

किग्रा। 8 प्रतिशत ए

पोस्ट संशोधन

अध्याय 33

आवश्यक तेल और रेज़िनोइड्स, इत्र, प्रसाधन या शौचालय की तैयारी

टिप्पणियाँ

1. इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क) 1301 या 1302 शीर्षक के प्राकृतिक ओलियोरेसिन या वनस्पति अर्क;

(ख) साबुन या 3401 शीर्षक के अन्य उत्पाद;

(ग) गम, लकड़ी या सल्फेट टर्पेन्टाइन या 3805 शीर्षक के अन्य उत्पाद; या

(घ) अल्कोहल या अफीम, भारतीय भांग या अन्य मादक पदार्थों से युक्त इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी और इस उद्देश्य के लिए, इन अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की धारा 2 में दिया गया है।

2. 3302 शीर्षक में "गंधयुक्त पदार्थ" अभिव्यक्ति केवल 3301 शीर्षक के पदार्थों को संदर्भित करती है, उन पदार्थों से अलग किए गए गंधयुक्त घटकों या सिंथेटिक सुगंधित पदार्थों को।

8% 8%

3. शीर्षकों 3303 से 3307, अन्य बातों के साथ–साथ, उत्पादों पर लागू होते हैं, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में

उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं।

8% 8%

4. 3307 शीर्षक में "इत्र, सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी" अभिव्यक्ति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उत्पादों पर लागू होती हैःसेन्टेड पाउच; गंधयुक्त तैयारी जो जलाकर काम करती हैं; सुगंधित कागज और कागज जो सौंदर्य प्रसाधनों के साथ संवर्धित या लेपित होते हैं; कॉन्टैक्ट लेंस या कृत्रिम नेत्र समाधान; वाडिंग, महसूस और गैर-बुने हुए, सुगंधित, लेपित या इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों से ढके हुए; पशु शौचालय की तैयारी।

8% 8%

8 प्रतिशत

5. शीर्षकों 3303,3304 और 3305 के उत्पादों के संबंध में, पाउडर को टैबलेट में परिवर्तित करना, उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कंटेनरों की लेबलिंग या पुनः लेबलिंग करना या थोक पैक से खुदरा पैक में पुनः पैकिंग करना या उत्पादों को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए किसी अन्य उपचार को अपनाना, को 'निर्माण' के रूप में माना जाएगा।

8 प्रतिशत

शुल्क वस्तु	वस्तुओं का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
3305	बालों पर उपयोग के लिए तैयारी		
3305 10	– शैंपूः	किग्रा।	16 प्रतिशत
3305 10 10	– आत्मा युक्त	किग्रा।	16 प्रतिशत
3305 10 90	– अन्य		

3305 20 00	– स्थायी लहराने या सीधा करने की तैयारी	किग्रा।	16 प्रतिशत
3305 30 00	– हेयर लैकर		
3305 90	– उसे कहोः बालों का तेलः		
3305 90 11	– सुगंधित	किग्रा।	16 प्रतिशत

3305 90 19–– अन्य

किग्रा। 16 प्रतिशत

3305 90 20–ब्रिलियंटाइन्स (आध्यात्मिक)

किग्रा। 16 प्रतिशत

3305 90 30–हेयर क्रीम

किग्रा। 16 प्रतिशत

3305 90 40–बालों के रंग (प्राकृतिक, हर्बल या हर्बल)

किग्रा। 16 प्रतिशत

सिंथेटिक)

3305 90 50–हेयर फिक्सर

किग्रा। 16 प्रतिशत

3305 90 90–अन्य

किग्रा। 16 प्रतिशत ए

7. अब हम प्रतिद्वंद्वी दलों की ओर से दिए गए तर्कों पर ध्यान दे सकते हैंः

अपीलार्थी–भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पांडा ने आग्रह किया है कि राजस्व द्वारा किए गए बाजार सर्वेक्षण के परिणामों के साथ अधिनियम में निहित सामान्य व्याख्या के नियमों और प्रासंगिक अध्याय टिप्पणियों की व्याख्या और विचार की प्रक्रिया से यह निष्कर्ष निकलेगा कि राजस्व द्वारा दावा किया गया वर्गीकरण पूरी तरह से उचित है और इसे अस्वीकार करने में विद्वान न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) सही नहीं था।विशेष रूप से, श्री पांडा ने अग्रिम दलीलों के समर्थन में शुल्क अधिनियम की अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के नियम 1; अध्याय नोट 1 (ई) से 15; धारा VI के लिए धारा नोट 2 और अध्याय नोट 3 से अध्याय 33 का उल्लेख किया है।अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों पर भरोसा करने के अलावा, श्री पांडा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि किए गए उत्पाद के एक विस्तृत बाजार सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि छोटे पैकेजों में नारियल तेल को बाजार में 'बाल तेल' के रूप में खरीदा जाता है न कि 'खाद्य तेल' के रूप में।इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, जिनके विवरण पर बाद में ध्यान दिया जाएगा, श्री पांडा ने प्रस्तुत किया है कि उत्पाद के वर्गीकरण को सामान्य बोलचाल परीक्षण का पालन करना चाहिए, जिसमें विवादग्रस्त नारियल तेल को अध्याय 33, शीर्ष 3305 के तहत प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि अध्याय 15, शीर्ष 1513 के तहत, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों–मूल्यांकनकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बागरिया ने प्रस्तुत किया है कि अधिनियम की अनुसूची की व्याख्या और राजस्व द्वारा भरोसा किए गए अध्याय टिप्पणियों से संबंधित कोई भी प्रावधान वर्तमान मामले में लागू और प्रासंगिक नहीं होगा ताकि अध्याय 33 के तहत उत्पाद का वर्गीकरण सुनिश्चित किया जा सके।वास्तव में, श्री बागरिया ने आग्रह किया है कि आने से पहले 2005 के संशोधन अधिनियम 5 के बल पर, नारियल तेल के वर्गीकरण का दावा किया गया था और अध्याय 15 शीर्ष 1503 के तहत अनुमति दी गई थी जो स्थिर वनस्पति तेलों से संबंधित था।संशोधन के बाद ही शीर्षक 1513 को विशेष रूप से नारियल तेल से संबंधित शामिल किया गया था।श्री बागरिया ने यह भी बताया कि वर्ष 2005 में आई. डी. 1 से प्रभावी संशोधन एकमात्र उद्देश्य था कि शुल्क को सुसंगत नामकरण प्रणाली (एच. एस. एन.) के साथ ठीक किया जाए।इस संबंध में, श्री बागरिया ने संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि –

राजस्व विभाग ने भारत में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के वर्गीकरण के उद्देश्य से नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एच. एस. एन.) के आधार पर आठ अंकों का वर्गीकरण कोड विकसित किया है।श्री बगारिया

न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि उपरोक्त उद्देश्यों और कारणों में, यह आगे कहा गया है कि

संशोधन केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं करता है और इसलिए प्रस्तावित परिवर्तनों में राजस्व निहितार्थ शामिल नहीं है।

9. व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के प्रावधानों और श्री पांडा द्वारा भरोसा किए गए अध्याय और धारा टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए और न्यायालय का ध्यान सुसंगत नामकरण प्रणाली (एच. एस. एन.) में अध्याय टिप्पणी 3 और अध्याय टिप्पणी 3 की ओर आकर्षित करते हुए, श्री बागरिया ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारियल का तेल, पैकेजिंग के आकार की परवाह किए बिना, टैरिफ अधिनियम के अध्याय 15 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और किसी भी तरह से, यहां तक कि दूर से भी, अध्याय 33 के तहत, विशेष रूप से शीर्षक 33.05 जो "बालों पर उपयोग की तैयारी" से संबंधित है।इस संबंध में श्री बागरिया ने तर्क दिया है कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदाताओं–मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा या उनकी ओर से साफ किए गए नारियल तेल के सभी पैकेजों पर, "खाद्य तेल" शिलालेख स्पष्ट रूप से चिपकाया गया है और इस आशय का कोई विज्ञापन/घोषणा/प्रतिनिधित्व नहीं है कि नारियल तेल बालों के तेल के रूप में उपयोग करने के लिए है या उपयोग करने के लिए है।इस संबंध में, श्री बागरिया ने न्यायालय का ध्यान केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना No.145/56/95–CX दिनांक 31.08.1995 की ओर भी आकर्षित किया है, जिसमें वर्ष 2005 में अधिनियम के संशोधन से पहले नारियल तेल के वर्गीकरण के संबंध में परिपत्र के पैराग्राफ 5 से 9 में सीबीईसी द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया गया थाः

(i) शीर्षक 33.05 में "बालों पर उपयोग की तैयारी" शामिल है।नारियल का तेल बालों पर उपयोग के लिए एक तैयारी नहीं है।यह स्थिर वनस्पति तेल है जिसका उपयोग खाना पकाने के माध्यम के रूप में किया जा सकता है (या बालों पर लगाने सहित अन्य उद्देश्यों के लिए)।इस बात का कोई प्रमाण नहीं होने पर कि यह विशेष रूप से बालों पर उपयोग के लिए तैयार किया गया है या पात्रों पर उस प्रभाव के लिए कोई लेबल/साहित्य/संकेत हैं, विषय वस्तुओं को 3305 शीर्षक के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे छोटे पात्रों में पैक किए गए थे और समाज के कुछ वर्गों द्वारा बालों पर लगाए गए थे।

(ii) नारियल का तेल, चाहे शुद्ध हो या परिष्कृत और चाहे छोटे या बड़े पात्रों में पैक किया गया हो, शीर्ष 1503 के तहत वर्गीकरण के योग्य है।(iii) केवल अगर पात्रों पर लेबल/साहित्य आदि होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह अध्याय 33 के नोट 2 में निर्दिष्ट के रूप में बालों पर लगाने के लिए है और/या यदि नारियल तेल का उपयोग योजक के रूप में किया जाता है या ऐसी प्रक्रिया से गुजरा है जो इसे "बालों पर उपयोग के लिए तैयार" करती है, तो नारियल तेल अध्याय 33 के तहत वर्गीकरण के योग्य हो सकता है। 10.यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्ष 2005 में प्रभावी संशोधन के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त परिपत्र की प्रभावशीलता, हालांकि तब जारी की गई थी जब अध्याय 33 का अध्याय संख्या 2 (पहले से निकाला गया)

लागू था, संशोधन के बाद के युग में भी जारी रहेगी जब अध्याय संख्या 2 को अब नोट 3 (अध्याय 33) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।11. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 बी के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का दिनांक 03.06.2009 वाला एक आदेश हमारे सामने रखा गया है।उक्त आदेश इस आशय का है कि यदि नारियल तेल को 200 मिली तक के पात्रों में पैक किया जाता है तो इसे आम तौर पर बालों के तेल के रूप में उपयोग करने के लिए माना जा सकता है।यदि, हालांकि, एक ही नारियल तेल को एक लीटर या दो लीटर के पैक में पैक किया जाता है, तो वर्गीकरण अध्याय 15 के तहत नारियल तेल के रूप में होगा।श्री बागरिया द्वारा यह आग्रह किया गया है कि विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण राजस्थान ऑयल मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 1 ने लिया था।

यह विचार कि 200 मिली या उससे कम के खुदरा पैकेट में थोक पात्रों से नारियल तेल को फिर से पैक करने से वस्तु को अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2014 के विद्वत न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश यानी सिविल अपील Nos.2023–2037 के खिलाफ राजस्व की अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 07–12–2014 आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद सीबीईसी ने एक और परिपत्र जारी किया है जिसमें सं.1007/14/2015–CX दिनांक 12–10–2015 पहले के परिपत्र दिनांक 03–06–2009 को वापस लेता है और निर्देश देता है कि वर्गीकरण के मुद्दे पर फील्ड अधिकारियों द्वारा "न्यायिक घोषणाओं के साथ पढ़े गए मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए" निर्णय लिया जा सकता है।

12. वर्गीकरण के संबंध में विवाद विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकते हैं।क्या कोई विशेष वस्तु/उत्पाद किसी अध्याय के एक या दूसरे अध्याय/शीर्षक के अंतर्गत आएगा, यह ऐसी ही एक स्थिति है। इस दावे पर भी विवाद उत्पन्न हो सकता है कि यद्यपि मद एक विशेष शीर्षक के अंतर्गत आती है, लेकिन कई कारणों से, एक ही मद का कुछ हिस्सा उसी अध्याय के दूसरे शीर्षक या पूरी तरह से एक अलग अध्याय के अंतर्गत आ सकता है।विनिर्मित और साफ की गई वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में सभी विवादों को मुख्य रूप से अधिनियम के ढांचे के भीतर और व्याख्या के नियमों और टैरिफ अधिनियम में निहित विभिन्न अध्याय टिप्पणियों और पूरक टिप्पणियों के आधार पर तय और हल किया जाना है। व्याख्या के नियमों और अध्याय टिप्पणियों के संबंध में अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले सीबीईसी और अन्य प्राधिकरणों की समझ, जो समय–समय पर जारी किए गए परिपत्रों/ज्ञापनों में परिलक्षित हो सकती है, वर्गीकरण के विवादित मुद्दों को समझने और हल करने में एक उपयोगी सहायता हो सकती है।एकरूपता नामकरण प्रणाली (एच. एस. एन.) और अध्याय टिप्पणियाँ और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, जिन पर टैरिफ अधिनियम को संशोधन द्वारा फिर से तैयार किया गया है, को इस न्यायालय द्वारा बार–बार टैरिफ अधिनियम के तहत वर्गीकरण के संबंध में विवादों के समाधान के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया गया है। इस न्यायालय द्वारा दी गई राय

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड 2; सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3; ओ. के. प्ले (इंडिया) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली–3, गुड़गांव 4 को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया जा सकता है

इस संबंध में।ये विभिन्न साधन हैं जो वर्गीकरण के संबंध में विवादों से निपटने के लिए न्यायालय के लिए उपलब्ध होंगे जिनका पहली बार में सहारा लिया जाना चाहिए।

13. विचाराधीन उत्पाद के वर्गीकरण को निर्धारित करने में सामान्य बोलचाल परीक्षण किस हद तक लागू होगा, यह पहला सवाल है जिस पर इस सवाल पर राजस्व की ओर से किए गए बहुत जोरदार तर्कों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

14. श्री ए. के. पांडा, राजस्व के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि राजस्व द्वारा किए गए एक विस्तृत बाजार सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि जो उपभोक्ता छोटे कंटेनरों में "नारियल तेल" खरीदते हैं, वे हमेशा उक्त खरीद को बाल तेल के रूप में उपयोग करने के लिए करते हैं न कि खाद्य तेल के रूप में।

इसलिए, श्री पांडा द्वारा यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान मामले में विवादित उत्पाद यानी छोटे पैकेजिंग में "नारियल तेल" को शीर्ष 3305 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए न कि शीर्ष 1513 के तहत।इस तर्क का समर्थन करने के लिए श्री पांडा ने इस न्यायालय की कई घोषणाओं का उल्लेख किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य राजकोषीय विधान के उद्देश्य से वस्तुओं के वर्गीकरण का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है और इसलिए, वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थ से बचा जाना चाहिए और व्यापार में और आम बोलचाल में समझे जाने वाले विशेष उत्पाद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

15. भारत–अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बनाम बिक्री आयुक्त

कर, यू. पी. 5 जहां वर्गीकरण के विवाद को हल करने के लिए सामान्य बोलचाल परीक्षण अपनाया गया था, यह न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या हाइपोडर्मिक नैदानिक सिरिंज को यू. पी. बिक्री कर अधिनियम, 1948 की पहली अनुसूची की प्रविष्टि No.39 के तहत "कांच के बर्तन" के रूप में माना जा सकता है।

16. इसी तरह, एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनाम.केंद्रीय कलेक्टर उत्पाद शुल्क 6 इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित "डिकोप्लास्ट" को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की पहली अनुसूची की टैरिफ वस्तु संख्या 14 (1) (3) (iv) के तहत "प्लास्टिक इमल्शन पेंट" के रूप में या टैरिफ वस्तु No.14 (1) (v) के तहत "पेंट जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं हैं" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था।

17. श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड बनाम.कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर 7 के समक्ष इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या निर्धारिती द्वारा निर्मित दंत मंजन लाल दवा थी ताकि 1 मार्च, 1978 की छूट अधिसूचना No.62/78-CE या शौचालय की तैयारी के दायरे में आ सके।

18. अल्पाइन इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, न्यू दिल्ली 8 इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या "लिप साल्वे" को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के शीर्ष 33.04 के तहत "त्वचा की देखभाल की तैयारी" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या क्या शीर्ष 30.03 के तहत "दवा" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

19. उपरोक्त सभी निर्णयों में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि-[अल्पाइन इंडस्ट्रीज (ऊपर) में अनुच्छेद 5]:

"5. यह अच्छी तरह से साबित है कि उत्पाद शुल्क अधिनियम जैसे कराधान क़ानून में शुल्क प्रविष्टियों की व्याख्या करने में, जहां प्राथमिक उद्देश्य राजस्व बढ़ाना है और उस उद्देश्य के लिए विभिन्न उत्पादों को अलग-अलग वर्गीकृत किया जाता है, प्रविष्टियों को उनके वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए।शुल्क में उपयोग किए जाने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों को उनके लोकप्रिय अर्थ से समझना होगा जो उत्पाद का उपयोग करने वालों द्वारा उनसे जुड़ा हुआ अर्थ है।उत्पाद शुल्क के वर्गीकरण के संबंध में विवाद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखें, उत्पाद-श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड द्वारा निर्मित लाल दंत मंजन ने श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड के मामले में रिपोर्ट किया।सीसीई 9.निर्माता ने दावा किया कि उत्पाद दंत चिकित्सा के लिए एक आयुर्वेदिक औषधीय तैयारी उत्पाद है।न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा (एस. सी. सी. पीपी में) अभिनिर्धारित करके बरकरार रखा गया था।404-05, पैरा 3) कि "आम तौर पर एक दवा एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निर्धारित की जाती है और इसका उपयोग सीमित समय के लिए किया जाता है और हर दिन नहीं जब तक कि यह मधुमेह जैसी विशिष्ट बीमारी से निपटने के लिए निर्धारित नहीं किया जाता है।""

20. हालाँकि, ऊपर निर्दिष्ट मामलों के तथ्यों पर विचार करने से यह पता चलता है कि उक्त मामलों में मूल विवाद/संघर्ष यह था कि क्या कोई उत्पाद जिसे किसी भी शीर्षक/प्रविष्टि द्वारा परिभाषित या विशेष रूप से निपटाया नहीं गया था, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के एक या दूसरे शीर्ष/प्रविष्टि के अंतर्गत आएगा। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां उत्पाद की पहचान के लिए किसी भी बहस की आवश्यकता होगी जैसा कि ऊपर उल्लिखित मामलों में मुद्दा था जहां सामान्य बोलचाल परीक्षण लागू किया गया था।वर्तमान मामले में, उत्पाद "नारियल का तेल" है, जो स्पष्ट रूप से अध्याय शीर्षक 1513 द्वारा कवर किया गया है न कि अध्याय शीर्षक 3305 द्वारा।वर्तमान मामले में निर्णय की आवश्यकता यह है कि क्या "नारियल तेल" जो अन्यथा अध्याय 15 के शीर्ष 1513 द्वारा कवर किया गया है, यदि छोटे पात्रों और पाउच/पाउच में पैक किया जाता है, तो अध्याय शीर्ष 1513 के तहत आने वाला "नारियल तेल" नहीं होगा और अध्याय 33 की प्रविष्टि 3305

द्वारा कवर किए गए "बालों पर उपयोग के लिए तैयारी" शीर्षक द्वारा कवर किया जाएगा।यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान उपभोक्ता या ग्राहक की धारणा के आधार पर नहीं बल्कि शीर्षकों और उप–शीर्षकों के आधार पर और इसके प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रासंगिक अध्याय टिप्पणियाँ, यदि आवश्यक हो।वर्गीकरण के मुद्दों को वैधानिक प्रावधान के ढांचे के भीतर हल किया जाना चाहिए।छोटे पैकेजों/पात्रों में पैक किया गया "नारियल तेल" "नारियल तेल" बनना बंद नहीं करता है और "बाल तेल" बन जाता है, हालांकि इस तरह का "नारियल तेल" दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। बाजार में या उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद की समझ की इस संबंध में हमेशा सीमित भूमिका होगी।ओ. के. प्ले (भारत) में इस न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण रहा है।

लि. बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली–3, गुड़गांव (ऊपर 13) और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर 17)।

21. अब हम व्याख्या के लिए सामान्य नियमों और राजस्व द्वारा निर्भर अध्याय टिप्पणियों की जांच कर सकते हैं।

"[पहली अनुसूची]–एक्ससाइस टैरिफ़

इस अनुसूची के हस्तक्षेप के लिए नियम 1.धाराओं और अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुगमता के लिए प्रदान किए गए हैं; कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण का निर्धारण शीर्षकों की शर्तों और किसी भी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या टिप्पणियों की अन्यथा आवश्यकता न हो, इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार।2. (क) माल के शीर्षक में किसी भी संदर्भ को उन वस्तुओं के संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा जो अधूरे या अधूरे हैं, बशर्ते कि अधूरे या अधूरे माल में पूर्ण या तैयार माल का आवश्यक चरित्र हो।इसे उन वस्तुओं के संदर्भ को भी शामिल करने के लिए लिया जाएगा जो पूर्ण या तैयार हैं (या इस नियम के आधार पर पूर्ण या समाप्त के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं), जिन्हें असंबद्ध या विच्छेदित किया गया है।

(ख) किसी सामग्री या पदार्थ के शीर्ष में किसी भी संदर्भ को अन्य सामग्री या पदार्थों के साथ उस सामग्री या पदार्थ के मिश्रण या संयोजन के संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा।किसी दी गई सामग्री या पदार्थ के माल के किसी भी संदर्भ में ऐसी सामग्री या पदार्थ का पूरी तरह से या आंशिक रूप से शामिल माल का संदर्भ शामिल किया जाएगा।एक से अधिक सामग्री या पदार्थ वाली वस्तुओं का वर्गीकरण नियम 3 में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

3. जब नियम 2 के उप–नियम (बी) को लागू करके या किसी अन्य कारण से, वस्तुओं को, प्रथम दृष्टया, दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्गीकरण निम्नानुसार प्रभावी होगाः

केंद्रीय उद्योग आयुक्त बनाम मदन कृषि उद्योग (I) पी. वी. टी. लिमिटेड. [रंजन गोगोई, जे.] ए.

(क) अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं में निहित सामग्री या पदार्थों के केवल एक हिस्से को संदर्भित करता है या एक निर्धारित बिक्री में केवल वस्तुओं के हिस्से को संदर्भित करता है, तो उन शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाना चाहिए, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण देता हो।(ख) विभिन्न सामग्रियों या विभिन्न घटकों से बनी मिश्रित वस्तुओं और खुदरा बिक्री के लिए सेटों में रखी गई वस्तुओं, जिन्हें (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि उनमें ऐसी सामग्री या घटक शामिल हों जो उन्हें उनकी आवश्यक प्रकृति प्रदान करता हो, जहां तक यह मानदंड लागू हो।

(ग) जब वस्तुओं को (क) या (ख) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में उन लोगों के बीच अंतिम होता है जो समान रूप से विचार के योग्य हैं।

4. जिन वस्तुओं को उपरोक्त नियमों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उन्हें उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जिनके वे सबसे अधिक समान हैं।

5. कानूनी उद्देश्यों के लिए, किसी शीर्षक के उपशीर्षक में वस्तुओं का वर्गीकरण उपरोक्त नियमों के उन उपशीर्षक और किसी भी संबंधित उपशीर्षक टिप्पणियों और उत्परिवर्तन की शर्तों के अनुसार इस समझ पर निर्धारित किया जाएगा कि केवल एक ही स्तर पर उपशीर्षक तुलनीय हैं।इस नियम के प्रयोजनों के लिए सापेक्ष धारा और अध्याय टिप्पणियाँ भी लागू होती हैं, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो।

अध्याय टिप्पणी 1 (ई) से अध्याय 15 तक

अध्याय 15

पशु या सब्जी वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम

टिप्पणियाँ

1. इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

(a) XXXXX

(b) XXXXX

(c) XXXXX

(घ) XXXXXXX

(ई) फैटी एसिड, तैयार मोम, दवाएं, पेंट, वार्निश, साबुन, इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय की तैयारी, सल्फोनेटेड तेल या धारा VI के अन्य सामान; या

धारा VI से धारा VI की धारा II

रासायनिक या संबद्ध उद्योगों का उत्पादनः

1. XXXXX

2. उपरोक्त टिप्पणी 1 के अधीन, मापी गई खुराक में रखे जाने या खुदरा बिक्री के लिए रखे जाने के कारण 3004,3005,3006,3212,3303,3304,3305,3306,3307,3506,3707 या 3808 शीर्षक में वर्गीकृत वस्तुओं को उन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाना है और इस अनुसूची के किसी अन्य शीर्षक में नहीं।

अध्याय टिप्पणी 3 से अध्याय 33 अध्याय 33

आवश्यक तेल और रिसिनोइड्स; परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक या टॉयलेट की तैयारी

टिप्पणियाँः

1. XXXX

2. XXXX

3. शीर्षकों 3303 से 3307, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादों पर लागू होते हैं, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं।

22. यह पहले ही देखा जा चुका है कि अधिनियम के पूर्व-संशोधित प्रावधानों के तहत नारियल तेल को किसी विशिष्ट शीर्षक के अंतर्गत नहीं लाया गया था और इसे शीर्षक 15.03 के तहत वर्गीकृत किया गया था, जो शीर्षक संख्या 15.02 के अलावा निश्चित वनस्पति तेलों से संबंधित था।

23. दूसरी ओर संशोधन से पहले बालों पर उपयोग की तैयारी से संबंधित शीर्षक 33.05 निम्नलिखित शब्दों में थाः----------

3305.10-- सुगंधित बालों का तेल 16 प्रतिशत-- अन्यः

16 प्रतिशत

3305.91-- हेयर फिक्सर

3305.99---अन्य

16 प्रतिशत

---------24. हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर (एच. एस. एन.) का शीर्षक 15.13 विशेष रूप से निम्नलिखित तरीके से नारियल तेल से संबंधित हैः"15.13 कोकोनट (COPRA), पाल्म केर्नल या बाबासु तेल और संरचनाएँ, जो भी परिष्कृत हैं या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित (+) नहीं हैं।

- नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंशः1513.11-कच्चा तेल

1513.19-अन्य

- ताड़ की गुठली या बाबासु तेल और उसके अंशः1513.21-कच्चा तेल

1513.29-अन्य "

25. एच. एस. एन. का शीर्षक 33.05 निम्नलिखित शब्दों में हैः

"33.05-बालों पर उपयोग के लिए तैयारी 3305.10-शैम्पू

3305.20-स्थायी रूप से हिलाने या सीधा करने की तैयारी 3305.30-हेयर लैक्स

3305.90-अन्य

शीर्षक में शामिल हैंः

(1) साबुन या अन्य जैविक सतह-सक्रिय एजेंटों वाले शैंपू (नोट 1 (सी) से अध्याय 34 तक देखें), और अन्य शैंपू।इन सभी शैंपू में सहायक दवा या कीटाणुनाशक घटक हो सकते हैं, भले ही उनमें चिकित्सीय या रोगनिरोधी गुण हों (नोट 1 (डी) से अध्याय 30 देखें)

(2) स्थायी रूप से हिलाने या सीधा करने की तैयारी (3) बालों के लाह (कभी-कभी "हेयर स्प्रे" के रूप में जाना जाता है)

(4) बालों की अन्य तैयारी, जैसे कि ब्राइटलाइन, बालों का तेल, क्रीम ("पोमेड्स") और ड्रेसिंगःबालों पर उपयोग किए जाने वाले बाल रंग और ब्लीच, क्रीम-कुल्ला।

26. संशोधन के लागू होने के बाद, अध्याय 15 और 33 में शीर्षकों 1513 और 3305 में सुसंगत नामकरण प्रणाली (एच. एस. एन.) में निहित शीर्षकों और उप-शीर्षकों की सामग्री को वस्तुतः शामिल किया गया।शुल्क

अधिनियम में संशोधन के बाद जो स्थिति ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि शुल्क अधिनियम में नारियल तेल के लिए एक विशिष्ट शीर्षक पेश किया गया है। जहाँ तक "बालों पर उपयोग की तैयारी" का संबंध है, उप–शीर्षकों ने ऐसी विभिन्न वस्तुओं को अधिक विशिष्ट बना दिया है।बालों के तेल के रूप में उपयोग की तैयारी के रूप में महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रूप से नारियल का तेल शीर्ष 3305 या इसके किसी भी उप–शीर्ष में शामिल नहीं है।

27. अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि 3305 शीर्षक, अन्य बातों के साथ–साथ, उन उत्पादों पर लागू होगा जो उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।

शीर्षक में उल्लिखित वस्तुओं के रूप में और यदि उन्हें ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखा जाता है।3305 शीर्षक "बालों पर उपयोग की तैयारी" से संबंधित है।वर्तमान मामले में, यह नहीं है

इस बात पर विवाद है कि नारियल तेल के पैकेजिंग में शिलालेख "खाद्य तेल" का उल्लेख है।पैकेजिंग में कोई प्रतिनिधित्व, घोषणा या विज्ञापन नहीं है कि यह बालों के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जा सकता है।28. संशोधन से पहले अध्याय 33 का अध्याय टिप्पणी 2 और जिसे अध्याय टिप्पणी 3 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, पैकिंग की आवश्यकता के बारे में अधिक स्पष्ट थाः

"लेबल, साहित्य या अन्य संकेत कि वे सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी के रूप में उपयोग के लिए हैं या इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप में रखे गए हैं और इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिनमें सहायक दवा या एंटीसेप्टिक घटक हैं या नहीं, या जिन्हें सहायक उपचारात्मक या रोगनिरोधी मूल्य के रूप में माना जाता है।"हालाँकि, संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तन/हटाए जाने शायद ही महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत अध्याय 33 (संशोधन के बाद) के अध्याय नोट 3 में पूर्ववर्ती अध्याय संख्या 2 का सुसंगत नामकरण प्रणाली (एच. एस. एन.) में अध्याय 33 के अध्याय 3 नोट के समान है जो व्याख्या और समझ की सही प्रक्रिया का मार्गदर्शन और प्रकाश डालता है।इसके अलावा, अध्याय टिप्पणी 3 से संबंधित नामकरण की सुसंगत प्रणाली में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी है जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

जनरल

"33.03 से 33.07 तक के शीर्षकों में उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे मुकदमे के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं (इस अध्याय का नोट 3 देखें)।

33.03 से 33.07 तक के शीर्षकों के उत्पाद इन शीर्षकों में बने रहते हैं, चाहे उनमें सहायक दवा या कीटाणुनाशक घटक हों या नहीं, या उन्हें सहायक चिकित्सीय या रोगनिरोधी मूल्य के रूप में माना जाता है (नोट 1 (डी) से अध्याय 30 देखें)।हालांकि, तैयार कमरे के दुर्गन्धनाशकों को 33.07 शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही उनमें सहायक प्रकृति से अधिक कीटाणुनाशक गुण हों।

तैयारी (जैसे वार्निश) और मिश्रित उत्पाद (जैसे, बिना सुगंधित पाउडर वाला टैल्क, फुलर की मिट्टी, एसीटन, फिटकरी) जो ऊपर वर्णित के अलावा अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें केवल इन शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है) जब वे हैं:

(ए) उपभोक्ता को बेचे गए एक प्रकार के पैकेजिंग में और लेबल, साहित्य या अन्य संकेतों के साथ कि वे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी के रूप में या कमरे के दुर्गन्धनाशक के रूप में उपयोग के लिए हैं; या

(ख) इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशेष रूप से एक फॉर्म में रखें (उदाहरण के लिए, वार्निश लगाने के लिए आवश्यक ब्रश से सुसज्जित छोटी बोतलों में नेल वार्निश लगाएं)।"

29. एच. एस. एन. के अध्याय टिप्पणी 3 का व्याख्यात्मक नोट अध्याय टिप्पणी की सामग्री को और अधिक स्पष्ट करता है।अधिनियम के टैरिफ आइटम No.3305 के तहत किसी उत्पाद को वर्गीकृत करने के लिए, समरूप प्रणाली के अध्याय नोट 3 के लिए व्याख्यात्मक नोट के खंड (ए) और (बी) की आवश्यकताएं।

नामकरण (एच. एस. एन.) को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी और सामान/पैकेजों को लेबल/साहित्य और अन्य संकेतों के साथ रखा जाना चाहिए कि वे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन और शौचालय की तैयारी के रूप में उपयोग के लिए हैं या सामान को इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप में रखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए नाखून वार्निश को ब्रश के साथ छोटी बोतलों में रखा जाना चाहिए।विचाराधीन नारियल तेल के संबंध में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 में एच. एस. एन. के समान शब्दों पर किसी भी व्याख्यात्मक टिप्पणी के न होने से इस न्यायालय के पहले स्पष्ट और सुसंगत निर्णय को देखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में शायद ही कोई फर्क पड़ेगा।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम लकड़ी शिल्प में व्यक्त किया गया

उत्पाद लिमिटेड (ऊपर) निम्नलिखित प्रभाव से:"12. यह महत्वपूर्ण है, जैसा कि वस्तुओं और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एच. एस. एन. पर आधारित हैं और अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर स्वीकृत नामकरण को "शुल्क वर्गीकरण के कारण विवादों को कम करने" के लिए ध्यान में रखा गया था।तदनुसार, शुल्क वर्गीकरण से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने के लिए, एच. एस. एन. से उभरने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकरण एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। यह अधिनियम में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की संरचना और उसमें किए गए शुल्क वर्गीकरण का स्पष्ट रूप से स्वीकृत आधार होने के कारण, किसी भी संदेह के मामले में एच. एस. एन. अधिनियम में उपयोग की गई किसी भी अभिव्यक्ति के सही अर्थ का पता लगाने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। आई. एस. आई. शब्दावली की शर्तों का एक अलग उद्देश्य है और इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए शुल्क वर्गीकरण के विशिष्ट उद्देश्य, जिसके लिए एच. एस. एन. में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकरण को अपनाया गया है, को एच. एस. एन. में दी गई अभिव्यक्ति के अर्थ और आई. एस. आई. की शर्तों की शब्दावली में दिए गए उस शब्द के अर्थ के बीच किसी भी अंतर के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

18. हमारा विचार है कि न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय इस तथ्य की अनदेखी करने की गलती में पड़ गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क की संरचना एच. एस. एन. में पाए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकरण पर आधारित है और इसलिए, शुल्क वर्गीकरण से संबंधित किसी भी विवाद को, जहां तक संभव हो, एच. एस. एन. द्वारा इंगित नामकरण के संदर्भ में हल किया जाना चाहिए, जब तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 द्वारा ही कोई स्पष्ट अलग इरादा नहीं दिखाया गया हो।आईएसआई शब्दावली में एक शब्द की परिभाषा, जिसका एक अलग उद्देश्य है, एक संघर्ष के मामले में, एचएसएन में एक ही संदर्भ में एक समान अभिव्यक्ति के अर्थ के स्पष्ट संकेत को ओवरराइड नहीं कर सकता है। एच. एस. एन. में, ब्लॉक बोर्ड को ब्लॉक बोर्ड के वर्गीकरण के समान संदर्भ में "समान टुकड़े टुकड़े वाली लकड़ी" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर शामिल किया गया है।चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 एच. एस. एन. के आधार और प्रारूप पर अधिनियमित किया गया है, इसलिए अधिनियम में उपयोग की जाने वाली उसी अभिव्यक्ति का, जहां तक व्यावहारिक हो, वही अर्थ होना चाहिए जो एच. एस. एन. में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जब भारतीय शुल्क में किसी अलग इरादे का कोई संकेत नहीं है।"

30. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार कि एच. एस. एन. कब कर सकता है

कैमलिन लिमिटेड बनाम के आयुक्त के दृष्टिकोण को शामिल करते हुए नजरअंदाज किया जाए।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई 10 इसमें जो व्यक्त किया गया है, उसके विपरीत नहीं है; बल्कि उक्त विचार उन स्थितियों में व्यक्त किए गए हैं जहां एच. एस. एन. से अलग होने का विधायी इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है।सचित्र रूप से, एच. एस. एन. न्यायालय को एच. एस. एन. में उल्लिखित प्रविष्टि आयात करने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन टैरिफ अधिनियम में नहीं। हालाँकि यही सिद्धांत अध्याय टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर लागू नहीं होगा जो प्रविष्टियों/शीर्षकों को समझने के लिए उपकरण हैं।ओ. के. में राय।

प्ले (इंडिया) लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली–3, गुड़गांव (ऊपर) और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम वुड क्राफ्ट प्रोडक्ट्स लिमिटेड में अपने विचार को दोहराया।

(ऊपर) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में शीर्षकों/प्रविष्टियों को समझने में अनुमेय और उपयोगी सहायक के रूप में एच. एस. एन. में अध्याय टिप्पणियों और व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर विशिष्ट जोर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।31. जैसा कि राजस्व की ओर से आग्रह किया गया है, बहते बालों वाले एक सिने स्टार का फोटो व्यक्तित्व विश्वसनीय रूप से निर्धारक नहीं हो सकता है।इसके अलावा यह तथ्य कि नारियल तेल के कुछ छोटे पात्रों में पात्र से नारियल तेल की बूंदें छोड़ने के लिए नलिका होती है, उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करेगी क्योंकि निर्णय की कार्यवाही के दौरान राजस्व द्वारा एकत्र की गई सामग्री से संकेत मिलता है कि खाना पकाने में उपयोग किए जाने वाले नारियल तेल की मात्रा, कभी–कभी, न्यूनतम हो सकती है।32. तथ्य का उपरोक्त परिप्रेक्ष्य यथोचित रूप से इस निष्कर्ष पर ले जा सकता है कि वर्तमान मामले में विवादित नारियल तेल अध्याय 15, शीर्ष 1513 के तहत अधिक उचित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर उपरोक्त एक संभावित और उचित निष्कर्ष है और हम इस तरह से यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि व्याख्या के लिए सामान्य नियमों के नियम 1 और 3 के अनुप्रयोग के संबंध में राजस्व का तर्क; अध्याय नोट 1 (ई) से अध्याय 15; धारा VI का नोट 2 इस संबंध में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं होगा।अध्याय 15 के पीछे का विधायी इतिहास; टैरिफ अधिनियम के शीर्ष 1513 में शब्द और अभिव्यक्तियाँ; प्रासंगिक शीर्षक अर्थात एच. एस. एन. में 1513 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 में निर्धारित शर्तों/आवश्यकताओं को एच. एस. एन. के अध्याय 33 के व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ अध्याय नोट 3 के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में पढ़ा जाता है, इन सभी से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलेगा कि नारियल तेल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अध्याय 15 के शीर्ष 1513 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सामान्य व्याख्या के नियमों का नियम 3 केवल ऐसी स्थिति में लागू होगा जहां उत्पाद दो अलग–अलग अध्यायों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, एक ऐसी स्थिति जो वर्तमान मामले में मौजूद नहीं है।साथ ही, अध्याय 15 का अध्याय नोट 1 (ई) और धारा VI का नोट 2 केवल तभी लागू होगा जब उत्पाद यानी नारियल का तेल स्पष्ट रूप से धारा VI के तहत किसी भी शीर्षक के तहत आएगा, एक ऐसी स्थिति जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

33. राजस्व की ओर से एक तर्क दिया गया है कि "पैराशूट" मैरिको का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है और बालों के तेल के रूप में उपयोग के लिए उपरोक्त ट्रेडमार्क के तहत वस्तुओं का विपणन किया जा रहा है।केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से पंजीकृत व्यापार चिह्न और वर्गीकरण का मुद्दा असंबंधित है और एक दूसरे से असंबद्ध है।किसी विशेष वर्ग के तहत ट्रेडमार्क का पंजीकरण केंद्रीय उत्पाद शुल्क के उद्देश्यों के लिए उत्पाद के वर्गीकरण का निर्धारक नहीं हो सकता है।इसके अलावा, वर्तमान मामले में, मैरिको ने खाद्य तेल (वर्ग 29)

के साथ-साथ हेयर ऑयल लोशन, वर्ग 3 के तहत बालों की तैयारी सहित विभिन्न वर्गों के तहत अपने ट्रेडमार्क "पैराशूट" का पंजीकरण प्राप्त किया है।

34. सर्कुलर असर संख्या की सामग्री। No.145/56/95-CX दिनांक 31.08.1995 उस समय जब अध्याय 33 का अध्याय नोट II लागू था, पहले ही देखा जा चुका है और वास्तव में उपरोक्त परिपत्र के प्रासंगिक पैराग्राफ 5 से 9, जो ऊपर निकाले गए हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि किसी उत्पाद को अध्याय 33 शीर्षक 3305 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह विशेष रूप से "बालों पर उपयोग के लिए" तैयार किया गया है और ऐसे प्रभाव के लिए पात्र पर कोई लेबल/साहित्य आदि नहीं है।केवल क्योंकि उत्पाद को छोटे पात्रों में पैक किया जाता है और ग्राहकों के कुछ वर्गों द्वारा बाल तेल के रूप में उपयोग किया जाता है जो शीर्ष 3305 के तहत वर्गीकरण के लिए एक वैध आधार नहीं हो सकता है।केवल अगर पात्रों पर लेबल/साहित्य होता है जो यह दर्शाता है कि यह बालों पर उपयोग के लिए है, तो विवादित नारियल तेल अध्याय 33 के तहत वर्गीकरण के योग्य हो सकता है।उपरोक्त स्थिति स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी 3 के साथ पठित एच. एस. एन. के अध्याय संख्या 3 में शामिल समान शर्तों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए अध्याय नोट 3 डब्ल्यू. ई. एफ. द्वारा अध्याय नोट II के प्रतिस्थापन के बावजूद इस क्षेत्र में बनी रहेगी, जिसे न्यायालय ध्यान में रखने के लिए बाध्य होगा।

35. ऊपर चर्चा किए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 37 बी के तहत आदेश वास्तव में राजस्व की ओर से एक आभासी स्वीकारोक्ति है कि अकेले 200 मिलीलीटर तक के कंटेनरों में पैक किए गए नारियल तेल को अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा और आधे लीटर के बड़े पैकेज भी अध्याय 15 के तहत आते हैं।ऊपर चर्चा किए गए अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 के तहत आवश्यक शर्तों के अभाव में, विचाराधीन उत्पाद के संबंध में दिनांक 3.6.2009 के आदेश/परिपत्र में निहित निर्देश के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है।विद्वान।

राज ऑयल मिल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त में अपीलीय न्यायाधिकरण

(ऊपर), इसलिए, यह विचार लिया कि 200 मिली या उससे कम के छोटे पैकेट भी अध्याय 15 के तहत नारियल तेल के रूप में अधिक उचित रूप से वर्गीकृत किए जाएंगे, न कि अध्याय 33 के तहत बाल तेल के रूप में।न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय की इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है और राजस्व (2014 की सिविल अपील Nos.2023-2037) की अपीलों को 7.12.2014 पर खारिज कर दिया गया है।अपीलों को खारिज करना, हालांकि एक गैर-भाषी आदेश द्वारा, योग्यता के आधार पर एक है और इसलिए राज ऑयल मिल्स (उपरोक्त) में न्यायाधिकरण के आदेश को इस न्यायालय के निर्णय के साथ विलय किया जा सकता है जैसा कि में अभिनिर्धारित किया गया था।

वी. एम. सलगांवकर एंड ब्रदर्सप्राइवेट लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त 11.

36. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि छोटे पैकेजिंग में नारियल का तेल, जिसके संबंध में वर्गीकरण के संबंध में वर्तमान विवाद उत्पन्न हुआ है, अध्याय 15, शीर्ष 1513 के तहत अधिक उचित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि अध्याय 33, शीर्ष 3305 के तहत।नतीजतन, राजस्व द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए, हम विद्वत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त प्रभाव के आदेशों की पुष्टि करते हैं।

आर. भानुमति, जे. 1.मैंने उनके लॉर्डशिप जस्टिस रंजन गोगोई के फैसले को देखा है और मैं तर्कों और निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हूं।मेरा विचार है कि अध्याय नोट 3 से लेकर अध्याय 33 और धारा 6 की धारा नोट 2 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, छोटे थैलों/पात्रों में पैक किए गए 'नारियल तेल' को अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि वे बालों पर उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, न कि अध्याय 15 के तहत।मेरे निष्कर्ष के कारण निम्नलिखित हैं।2. चाहे प्रत्यर्थी द्वारा निर्मित और छोटे पात्रों और थैलों में पैक किया गया 'नारियल तेल', राजस्व द्वारा दावा किए गए अध्याय शीर्षक 3305 ("बाल तेल", "अन्य") के तहत या अध्याय 15 शीर्षक 1513 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता हैःनारियल (कोपरा) तेल जैसा कि दावा किया गया है

प्रत्यर्थी, इन अपीलों में विचार के लिए आने वाला बिंदु है।

3. अपीलार्थी–राजस्व और प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा दावा किए गए वर्गीकरण के लिए प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियाँ निम्नानुसार हैंः–

अपीलार्थी द्वारा वर्गीकरण	प्रत्यर्थी द्वारा वर्गीकरण
3305 बालों पर उपयोग के लिए तैयारी 3305 90–अन्य––– बालों का तेल 3305 90 19–––अन्य	1513 नारियल (कोपरा), पाम केर्नल या बाबासु तेल और उसके अंश, चाहे वे परिष्कृत हों या न हों, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं– नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंशः 1513 11 00–– कच्चा तेल

	(या) 1513 19 00---अन्य

4. अध्याय 33 "आवश्यक तेलों और रेज़िनोइड्स, इत्र, प्रसाधन सामग्री या शौचालय की तैयारी" से संबंधित है।प्रशुल्क मद 33 05 पढ़ा जाता है

निम्नानुसारः-

"3305

बालों पर उपयोग के लिए तैयारी 3305 10-शैंपू

3305 10 10---आत्मा युक्त 3305 10 90---अन्य

3305 20 00-स्थायी लहराने या सीधा करने की तैयारी ए

3305 30 00

-

हेयर लैक्सर्स

3305 90

-

अन्य

--बालों का तेल

3305 90 11---सुगंधित 3305 90 19---- अन्य

5. अध्याय 15 "पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या वनस्पति वसा" से संबंधित है।

सब्जी मोम "।प्रशुल्क मद 15 13 निम्नानुसार हैः-

"1513

नारियल (कोपरा), ताड़ की गुठली या बाबासु तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं

–

नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंश

1513 11 00

– –

कच्चा तेल

डी.

1513 19 00

– –

अन्य

–

ताड़ की गुठली या बाबस्सु तेल और

एकर अंश ए

6. निम्नलिखित का एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण माल के वर्गीकरण के लिए क्षेत्र को नियंत्रित करेगाः–

पहली अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों का नियम 1

अध्याय टिप्पणी 1 (ई) से अध्याय 15 तक

धारा VI के लिए धारा टिप्पणी 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005 संशोधन के बाद)

अध्याय नोट 3 से अध्याय 33 (डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005 संशोधन के बाद)

जैसा कि चर्चा की गई अवसंरचना, उपरोक्त के संचयी निर्माण से होगा

यह निष्कर्ष कि "यदि विवादित माल टैरिफ आइटम 3305 90 19 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो विवादित माल स्वचालित रूप से टैरिफ आइटम 1513 1100 (या) 1513 के तहत वर्गीकरण से बाहर हो जाता है।

7. टैरिफ ने स्वयं व्याख्या के लिए पाँच नियम प्रदान किए हैं।

प्रथम की व्याख्या के लिए सामान्य नियमों का पहला नियम

अनुसूची, आमतौर पर वर्गीकरण के लिए मुख्य सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया जाता है।यदि वर्गीकरण शीर्षक, खंड या अध्याय टिप्पणियों से किया जा सकता है, तो व्याख्या के नियमों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।व्याख्यात्मक नियम केवल तभी लागू होते हैं जब किसी उत्पाद का वर्गीकरण शीर्षकों या सापेक्ष के अनुसार निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

खंड या अध्याय टिप्पणियाँ।इस अनुसूची की व्याख्या के लिए पहली अनुसूची–विशिष्ट शुल्क नियम इस प्रकार हैंः–

"1. धाराओं और अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की सुगमता के लिए प्रदान किए गए हैं; कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण का निर्धारण शीर्षकों की शर्तों और किसी भी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या टिप्पणियों की अन्यथा आवश्यकता न हो, इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार।

2. (क) माल के शीर्षक में किसी भी संदर्भ को उन वस्तुओं के संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा जो अधूरे या अधूरे हैं, बशर्ते कि अधूरे या अधूरे माल में पूर्ण या तैयार माल का आवश्यक चरित्र हो।इसे उन वस्तुओं के संदर्भ को भी शामिल करने के लिए लिया जाएगा जो पूर्ण या तैयार हैं (या इस नियम के आधार पर पूर्ण या समाप्त के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं), जिन्हें असंबद्ध या विच्छेदित किया गया है।

(ख) किसी सामग्री या पदार्थ के शीर्ष में किसी भी संदर्भ को अन्य सामग्री या पदार्थों के साथ उस सामग्री या पदार्थ के मिश्रण या संयोजन के संदर्भ को शामिल करने के लिए लिया जाएगा।किसी दी गई सामग्री या पदार्थ के माल के किसी भी संदर्भ में ऐसी सामग्री या पदार्थ का पूरी तरह से या आंशिक रूप से शामिल माल का संदर्भ शामिल किया जाएगा।एक से अधिक सामग्री या पदार्थ वाली वस्तुओं का वर्गीकरण नियम 3 में निहित सिद्धांतों के अनुसार होगा।

3. जब नियम 2 के उप–नियम (बी) को लागू करके या किसी अन्य कारण से, वस्तुओं को प्रथम दृष्टया दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्गीकरण निम्नानुसार प्रभावी होगाः–

(क) अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाले शीर्षक को प्राथमिकता दी जाएगी।हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक केवल ए के हिस्से को संदर्भित करता है

मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं में निहित सामग्री या पदार्थ या एक समूह में वस्तुओं के केवल भाग के लिए, उन शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाना चाहिए, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण दे।(ख) मिश्रण, विभिन्न सामग्रियों से युक्त या विभिन्न घटकों से बने मिश्रित सामान, और सेटों में रखे गए सामान, जिन्हें (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि वे ऐसी सामग्री या घटक से बने हों जो उन्हें उनकी आवश्यक प्रकृति देता हो, जहां तक यह मानदंड लागू है।(ग) जब वस्तुओं को (क) या (ख) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उन शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में अंत में आते हैं जो समान रूप से विचार के योग्य हैं।4. जिन वस्तुओं को उपरोक्त नियमों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उन्हें उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जिनके वे सबसे अधिक समान हैं।

8. पहले नियम के दो घटक हैं, अर्थात्:आई. अनुभागों, अध्यायों और उप–अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ में आसानी के लिए प्रस्तावित हैं।

ii.कानूनी उद्देश्यों के लिए, वर्गीकरण का निर्धारण शीर्षकों की शर्तों और किसी भी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या अध्याय टिप्पणियों की अन्यथा आवश्यकता न हो, इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार।

वस्तुओं का वर्गीकरण बिंदु (ii) के अनुसार होगा, जिसके अनुसार वर्गीकरण निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखने की मांग करता हैः–

आई. वर्गीकरण शीर्षक की शर्तों के अनुसार किया जाएगा, और

ii.किसी भी सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों के अनुसार, और iii प्रदान किए गए ऐसे शीर्षकों या अध्याय टिप्पणियों को अन्यथा उस पर निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नहीं है जो नियम 2 से 6 हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है किः– (i) शीर्षक और (ii) सापेक्ष धारा या अध्याय टिप्पणियों पर वर्गीकरण करने से पहले विचार किया जाना चाहिए।केवल अगर इस अभ्यास के बाद, वर्गीकरण में एक संघर्ष अभी भी बना रहता है, तो व्याख्या के लिए अन्य नियमों का सहारा लिया जा सकता है (iii)।

9. केंद्रीय विशेष अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2004 द्वारा उपजे बदलावः– केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(संशोधन) अधिनियम, 2004, जो 28.02.2005 से प्रभावी हुआ, नोट 2 में अध्याय 33 में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया और धारा VI में नोट 2 की शुरूआत ने विवादित वस्तुओं के पुनर्वर्गीकरण को आमंत्रित

किया।केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2004 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:–

(क) देश की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं को अधिक प्रमुखता से समायोजित करना;

(ख) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लेवी और संग्रह के उद्देश्य से और आयात व्यापार नियंत्रण नीति और आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य से एक सामान्य वस्तु वर्गीकरण को अपनाना;

(ग) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापार से संबंधित लेनदेन के लिए उपयोग की जाने वाली नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई सामंजस्यपूर्ण प्रणालियों के आधार पर एक सामान्य वस्तु वर्गीकरण को अपनाने के लिए व्यापार और उद्योग की मांग को समायोजित करना।

(घ) विधेयक की मुख्य विशेषता, अन्य बातों के साथ–साथ, छह अंकों के वर्गीकरण को आठ अंकों के वर्गीकरण में विस्तारित करती है और इस तरह का विस्तार उक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में किया गया है, ताकि बढ़ी हुई शुल्क वस्तुओं के तहत विशिष्ट वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जा सके ताकि घरेलू चिंताओं को समायोजित किया जा सके।आठ अंकों की प्रणाली के तहत शुल्क वस्तु की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी:– पहले दो अंक:शुल्क की अध्याय संख्या को देखें (उदाहरण के लिए 33 × × × × × ×)

अगले दो अंक:उस अध्याय में माल के शीर्षक का उल्लेख करें (जैसे × × 05 × × × ×)

अगले दो अंक:अध्याय उपशीर्षक को इंगित करें (जैसे × × × × × 90 × ×)

अंतिम दो अंक:अध्याय उप–उप–शीर्षक को देखें (जैसे × × × × × × ×10)

10. 2004 के संशोधन द्वारा, विवादित वस्तुओं सहित कुछ वस्तुओं का पुनर्संयोजन किया गया है।उचित मूल्यांकन के लिए, हम उपयोगी रूप से प्रासंगिक पुराने कानूनी प्रावधानों और संशोधन के बाद नए कानूनी प्रावधानों के तुलनात्मक चार्ट का उल्लेख कर सकते हैं।–

एस. एल. नहीं।		पुराना कानूनी प्रावधान	नया कानूनी प्रावधान
1.	धारा VI के लिए खंड टिप्पणी	नोट 2: दो या दो से अधिक अलग–अलग घटकों वाले सेटों में रखी गई वस्तुओं, जिनमें से	नोट 2: – उपरोक्त टिप्पणी 1 के अधीन, मापी गई खुराक में या खुदरा बिक्री के लिए रखे

		कुछ या सभी इस धारा में आते हैं और धारा VI या VII का उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलाने का इरादा रखते हैं, को उस उत्पाद के लिए उपयुक्त शीर्षक में वर्गीकृत किया जाना है, बशर्ते कि घटक हैं; (ए). (बी). (सी)।	जाने के कारण 3004,3005,3006,3212,3303,3304,3305,3306,3307,3506,3707 या 3808 शीर्षक में वर्गीकृत वस्तुओं को उन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाना है और इस अनुसूची के किसी अन्य शीर्षक में नहीं।
2.	अध्याय 33 पर अध्याय टिप्पणी	नोट 2: आई. डी. 1 से आई. डी. 2 तक, अन्य बातों के साथ-साथ, इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त मिश्रित (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा) उत्पादों को लागू करें और लेबल, साहित्य या अन्य संकेतों के साथ पैकेजिंग में रखें कि वे सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी के रूप में उपयोग के लिए हैं या इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से	नोट 3: शीर्षकों 3303 से 3307, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादों पर लागू होते हैं, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं।

		विशिष्ट रूप में रखे गए हैं और इसमें ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिनमें सहायक दवा या एंटीसेप्टिक घटक हैं या नहीं, या जिन्हें सहायक उपचारात्मक या रोगनिरोधी मूल्य के रूप में माना जाता है।	
3.	शीर्षक विवरण	33.05 बालों पर उपयोग के लिए तैयारी	3305 बालों पर उपयोग के लिए तैयारी
	उपशीर्षक विवरण	3305.10– सुगंधित बालों का तेल–अन्यः	3305 90 11–––सुगंधित 3305 90 19–––– अन्य

11. पुराने प्रावधानों और नए कानूनी प्रावधानों के संचयी अध्ययन से यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो 28.02.2005 से प्रभावी हैंः–

(i) हटाए जाने के माध्यम से तत्कालीन नोट 2 को अध्याय 33 (वर्तमान में 3 के रूप में पुनः क्रमांकित) में इस हद तक संशोधन करना कि लेबल, साहित्य या अन्य संकेतों के साथ पैकेजिंग में रखे गए सामान कि वे उपयोग के लिए हैं।

(ii) संशोधन के बाद, नोट 3 से अध्याय 33 में वस्तुओं के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त अभिव्यक्तियों को शामिल किया गया है।

उन शीर्षकों में से "और" ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे गए प्रकार के पैकेजिंग में रखा गया "; और

(iii) धारा VI में धारा टिप्पणी 2 का परिचय–यदि शीर्ष 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो इसे अनुसूची के किसी अन्य शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

12. विवादित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए प्रासंगिक अध्याय टिप्पणियाँ और अनुभाग टिप्पणियाँः– आइए अब हम जाँच करें कि

विवादित वस्तुओं के वर्गीकरण से संबंधित प्रासंगिक शीर्षकों, धाराओं और अध्याय टिप्पणियों।अध्याय नोट 3 से अध्याय 33 (संशोधित डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005), निम्नानुसार हैः–

"शीर्षकों 3303 से 3307 तक, अन्य बातों के साथ–साथ, उत्पादों पर लागू होते हैं, चाहे

या मिश्रित नहीं (जलीय आसवन और जलीय घोल के अलावा)

आवश्यक तेलों का), इन शीर्षकों के माल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है और इस तरह के उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखा गया है।

13. अध्याय नोट 3 से अध्याय 33 में चार प्रमुख बातों की परिकल्पना की गई है, अर्थात्ः

ए। उत्पाद मिश्रित हो भी सकता है और नहीं भी।

बी। उत्पाद इन शीर्षकों के तहत एक वस्तु के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए (33 03 से 33 07);

ग. उत्पाद को ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखा जाना चाहिए।

घ. शीर्षक 33 03 से 33 07 अन्य वस्तुओं के लिए भी लागू हो सकते हैं जो इस अध्याय टिप्पणी में शामिल नहीं हैं (जैसा कि वाक्यांश 'अन्य बातों के साथ' द्वारा इंगित किया गया है)।

14. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अध्याय टिप्पणी शब्दबद्ध नहीं है।

एक विशिष्ट तरीके से।यह केवल उन शर्तों को दोहराता है जो किसी निश्चित उत्पाद के लिए टैरिफ आइटम 33 03 से 33 07 शीर्षक के तहत योग्यता वर्गीकरण के लिए संतुष्ट करने के लिए आवश्यक हैं।अभिव्यक्ति, 'उपयोग के लिए उपयुक्त'

इन शीर्षकों के सामान के रूप में 'और' एक तरह के पैकेजिंग में बेचे जाते हैं

खुदरा द्वारा ऐसे उपयोग के लिए 'जैसा कि अध्याय 33 के नोट 3 में उपयोग किया गया है, यह इंगित करता है कि बाल तेल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त तेल शीर्षक 33 05 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं, भले ही उनका उपयोग नहीं किया गया हो।महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए 'उपयुक्तता' है।

'और' इस तरह के उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे गए एक प्रकार के पैकेजिंग 'का उपयोग करें।इसे ध्यान में रखते हुए

संशोधित स्थिति, यदि 'बाल तेल, अन्य' के रूप में वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 3 से अध्याय 33 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है, तो उत्पाद को केवल शीर्षक 33 05 के तहत वर्गीकृत किया जाना है और कोई अन्य वर्गीकरण अनुमत नहीं है।उपरोक्त को आगे धारा 6 में संशोधित धारा टिप्पणी 2 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

15. धारा VI की धारा टिप्पणी 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005 संशोधन के बाद) निम्नानुसार हैः–

डी.

"उपरोक्त टिप्पणी 1 के अधीन, शीर्ष 3004,3005,3006,3212,3303,3304,3305,3306,3307,3506,3707 या 3808 द्वारा वर्गीकृत माल

मापा खुराक में या खुदरा बिक्री के लिए रखे जाने का कारण हैं

उन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाए और इस अनुसूची के किसी अन्य शीर्षक में नहीं।"

पहली अनुसूची की धारा VI की धारा टिप्पणी 2 बहिष्कृत प्रकृति की है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि यदि कोई वस्तु शीर्ष 33 05 के तहत वर्गीकृत की जा सकती है तो उसे अनुसूची के किसी अन्य शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।धारा VI के नोट 2 के प्रावधानों के अनुसार, यदि शीर्षक 33 05 के तहत 'बाल तेल' के रूप में वर्गीकरण के लिए अध्याय नोट 3 में निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उत्पाद को केवल शीर्षक 33 05 के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए और कोई अन्य वर्गीकरण अनुमत नहीं है।यदि शीर्षक 33 05 के तहत 'बाल तेल' के रूप में विवादित वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 के तहत निर्दिष्ट शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उत्पाद को केवल अध्याय 33 के तहत माल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और धारा नोट 2 से धारा VI के आधार पर कोई अन्य वर्गीकरण अनुमत नहीं है।

16. "बाल तेल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्तता" और "इस तरह के उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाने" के कारण,

धारा टिप्पण 2 से धारा VI तक, अध्याय 15 के तहत उनका वर्गीकरण

धारा VI के नोट 2 द्वारा टैरिफ उपशीर्षक 33 05 को दी गई प्रधानता को देखते हुए 'निश्चित सब्जियों का तेल' या 'नारियल का तेल' जैसा कि दावा किया गया है, उत्पन्न नहीं होता है। अध्याय 15 के आगे नोट 1 (ई) में कहा गया है कि "अध्याय में धारा VI की वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है।"नोट 1 (ई) से लेकर अध्याय 15 तक निम्नानुसार हैः–

पशु या सब्जी वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम

टिप्पणियाँः

1. इस अध्याय में निम्नलिखित शामिल नहीं हैंः--।

(ई) फैटी एसिड, तैयार मोम, दवाएं, पेंट, वार्निश, साबुन, इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय की तैयारी, सल्फोनेटेड तेल या धारा VI के अन्य सामान; या

अध्याय 15 के नोट 1 (ई) में धारा VI के तहत आने वाली वस्तुओं को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है जिसमें अध्याय 33 टैरिफ आइटम 33 05 वस्तुओं में से एक है।

17. क्या नारियल का तेल अध्याय 15 के अंतर्गत आता है और व्याख्यात्मक नियम 3 की प्रयोज्यताः– निर्धारिती का तर्क है

कि अध्याय 15 के तहत 'नारियल तेल' का विवरण विशिष्ट है और इसलिए व्याख्यात्मक नियमों के नियम 3 (ए) के संदर्भ में विषय वस्तुओं पर लागू होता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "व्याख्या के लिए सामान्य नियम" का नियम 3 (ए) केवल तभी लागू किया जा सकता है जब शीर्षकों और प्रासंगिक धाराओं और अध्याय टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से वर्गीकरण का निर्धारण नहीं किया जाता है।निर्धारिती का दावा है कि अध्याय 15 के तहत 'नारियल तेल' का विवरण विशिष्ट है और इसलिए, व्याख्यात्मक नियमों के नियम 3 (ए) के संदर्भ में उनके सामान पर लागू होता है, हालांकि यह आकर्षक लगता है, लेकिन यह स्वीकृति के योग्य नहीं है।ऐसा इसलिए है क्योंकि विवादित वस्तुओं का वर्गीकरण शीर्षक, सापेक्ष अध्याय टिप्पणियों और धारा टिप्पणियों की शर्तों पर आधारित है जो व्याख्यात्मक नियमों के प्राथमिक और मुख्य नियम 1 के तहत इस संबंध में सर्वोपरि हैं।

18. मेसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी करने वाले कर्मचारीः– के प्रकाश में

उपरोक्त संशोधित प्रावधानों और उन पर व्याख्या, मुझे इस बात पर विचार करने दें कि क्या विवादित माल शीर्ष 33 05 के तहत या अध्याय 15 मद 15 13 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।सुविधा के लिए, सबसे पहले, मैं 2009 के सी. ए. Nos.6703–10 में तथ्यों का उल्लेख करता हूं।इन अपीलों में निर्धारिती/उत्तरदाता।(i) ऐश्वर्या इंडस्ट्रीज; (ii) मोरेश्वर इंडस्ट्रीज; (iii) शिवम एंटरप्राइजेज; (iv) सौपर्णिका एंटरप्राइजेज में चार कर्मचारी हैं।

और मेसर्स मैरिको लिमिटेड जो 'हेयर ऑयल' के लिए 'पैराशूट' ब्रांड के पंजीकृत मालिक हैं।मेसर्स मोरेश्वर इंडस्ट्रीज और तीन अन्य नौकरी कर्मचारियों ने मेसर्स मैरिको लिमिटेड के साथ एच. डी. पी. ई. बोतलों (हाई डेंसिटी पॉलीथीन) के निर्माण, मैरिको लिमिटेड के ब्रांड नाम और लोगो 'पैराशूट' के साथ स्क्रीन प्रिंटिंग और 'पैराशूट' ब्रांड के तहत बाजार में बेचे जाने वाले नारियल के तेल से बोतलों को पैक करने के लिए अनुबंध किया था।अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों से, मेसर्स मैरिको से नौकरी के काम पर मेसर्स मोरेश्वर और अन्य लोगों द्वारा की गई प्रक्रिया का सारांश इस प्रकार दिया गया हैः– (ए) मेसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी करने वाले कर्मचारी मेसर्स मैरिको, पांडिचेरी से टैंकरों में नारियल का तेल प्राप्त करते हैं; उक्त तेल को मेसर्स मोरेश्वर और अन्य उत्तरदाताओं/नौकरी कर्मचारियों के भंडारण टैंकों में उतारा और संग्रहीत किया जाता है; (बी) फिर, मैकेनिकल फ़िल्टरिंग के बाद और दूसरे टैंकर में संग्रहीत करने के बाद, इसे 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली और 500 मिली 'कंटेनर' और 'फ़्लिप टॉप' में पैक किया जाता है। (ग) इन खुदरा पैकों की आपूर्ति मेसर्स मैरिको डिपो को उनके प्रेषण कार्यक्रम के अनुसार 'पैराशूट' ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने के लिए की जाती है। और (घ) पैकेजिंग पर दिया गया विवरण 'पैराशूट' चिह्न के साथ '100% शुद्ध नारियल तेल' है। जैसा कि मैसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया यह है कि थोक से एक प्रकार के खुदरा पैक (अब तक उनके द्वारा निर्मित कंटेनर) में सामान की पैकिंग को यांत्रिक रूप से फ़िल्टर करने के बाद मैसर्स मैरिको को 'पैराशूट' ब्रांड नाम के तहत बेचे जाने के लिए वितरित किया जाता है, मैसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी श्रमिकों की गतिविधियाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 (एफ) (iii) के संदर्भ में निर्माण के बराबर होती हैं।राजस्व के अनुसार, एक बार 'बाल तेल' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त तेल के निर्माण का यह तथ्य साबित हो जाने के बाद, अध्याय शीर्ष 15 के तहत वर्गीकरण को खारिज कर दिया जाता है और अध्याय टिप्पणी 3 से अध्याय 33 और टिप्पणी 2 से धारा VI के आधार पर उपयुक्त शीर्षक 33 05 है।

19. मेसर्स मदन एग्रो इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड (एम. ए. आई. पी. एल):– अब तक

'एम. ए. आई. पी. एल.' के रूप में, नारियल (कोपरा) को कुचला और ग्राउंड किया जाता है और तेल–केक और तेल को अलग किया जाता है और फिर तेल को फ़िल्टर और शुद्ध किया जाता है।फ़िल्टर किए गए तेल को फिर टैंकों में संग्रहीत किया जाता है और विभिन्न मापों के पाउच और बोतलों में पैक किया जाता है।बाजार में 5 मिली, 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली और 1000 मिली पाउच, 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली और 500 मिली प्लास्टिक की बोतलें, 100 मिली, 200 मिली और 500 मिली चौड़े मुंह वाली बोतलें, 200 मिली टिन, एक लीटर और 2 लीटर के डिब्बे बेचे जाते हैं।राजस्व, एम. ए. आई. पी. एल. के अनुसार, अपने प्रतिद्वंद्वियों के उत्पादों जैसे 'पैराशूट हेयर ऑयल' का परीक्षण करता है और उनके उत्पाद की विपणन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उनके उत्पादों के परिणामों की तुलना करता है।राजस्व का मामला यह है कि प्लास्टिक की बोतलों के लिए प्रावधान है

शीर्ष पर एक छोटा सा छेद बनाना और जब बोतल को झुका कर हल्का दबाया जाता है, तो केवल थोड़ी मात्रा में तेल निकलता है, जिसे बालों पर लगाया जा सकता है और मेसर्स एम. ए. आई. पी. एल. द्वारा निर्मित नारियल का तेल 'हेयर ऑयल' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।पैकिंग की प्रकृति से पता चलता है कि उत्पाद 'हेयर ऑयल' के रूप में इस तरह के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए है और इसे अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।यह आरोप लगाया गया है कि शुल्क के भुगतान से बचने के इरादे से, मेसर्स एम. ए. आई. पी. एल. ने एक्साइज़बल नारियल तेल (गैर–सुगंधित बाल तेल) को 'खाद्य ग्रेड/तेल' फ़िल्टर्ड 100% शुद्ध नारियल तेल के रूप में गलत घोषित किया है।

20. न्यायाधिकरण के निष्कर्ष –न्यायाधिकरण ने आयुक्त के आदेश को यह अभिनिर्धारित करते हुए दरकिनार कर दिया कि अध्याय 15 में सभी प्रकार के नारियल तेल, खाद्य के साथ–साथ अखाद्य भी शामिल हैं और यह आवश्यक नहीं है कि खाद्य नारियल तेल को अध्याय 15 के तहत वर्गीकृत करने के लिए पी. एफ. ए. नियमों द्वारा अनुमोदित पैकेजिंग में विपणन किया जाना चाहिए और यह कि न्यायाधिकरण का पूर्व निर्णय (संशोधन से पहले) संशोधन के बाद भी संबंधित प्रविष्टियों पर लागू होता है।एम. ए. आई. पी. एल. के मामले में, न्यायाधिकरण के पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद, सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः–

"उस मामले में नारियल तेल की पैकिंग उस प्रकार की नहीं थी जिसे ऊपर संदर्भित किया गया था या जिसे पूरी तरह से और विशेष रूप से केवल बालों पर लगाने के लिए कहा जा सकता था।इस प्रकार न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अध्याय 2 से अध्याय 33 उस मामले में अध्याय 33 के तहत माल को वर्गीकृत करने के लिए लागू नहीं था।अध्याय 33 के एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ 28.02.05 से पहले और बाद में समान थीं।इसके अलावा एच. एस. एन. में नारियल तेल से संबंधित अध्याय 15 के तहत प्रविष्टियां और 28.02.2005 के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी समान हैं।इसलिए, उपरोक्त मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 15.13 और 33.05 के दायरे की व्याख्या करने वाला न्यायाधिकरण का निर्णय 28.02.2005 के बाद भी संबंधित प्रविष्टियों पर लागू होता है।इसलिए न्यायाधिकरण के निर्णय का उपरोक्त अनुपात वर्तमान मामले पर भी लागू होता है।

21. राजस्व की सामग्रीः– विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. के. पांडा ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 में संशोधन के आधार पर 'आई. डी. 1' के प्रभाव से, सुगंधित के अलावा 'हेयर ऑयल' टैरिफ आइटम संख्या 'आई. डी. 2' के तहत योग्यता वर्गीकरण के योग्य है।यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधन के परिणामस्वरूप, जब तक उत्पाद माल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है

चाहे मिश्रित हो या न हो, अध्याय शीर्षक 33 05 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और धारा 6 की धारा 2 के आलोक में, इसे इस अनुसूची में किसी अन्य शीर्षक के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने अध्याय टिप्पणी 2 को अध्याय 33 में संदर्भित करने के लिए विभिन्न आदेशों पर भरोसा किया, जो हालांकि संशोधन से पहले थे, जिससे यह विचार करने में विफल रहे कि कारण दिखाएँ नोटिस और मूल आदेश अध्याय टिप्पणी 2 से अध्याय टिप्पणी 33 में संशोधित अध्याय टिप्पणी 2 और धारा टिप्पणी 01.03.2005 से प्रभावी के अनुसार पारित किए गए थे।जहां तक 'पैराशूट' का संबंध है, राजस्व विभिन्न सामग्रियों जैसे ट्रेड मार्क पंजीकरण और अन्य सामग्रियों पर निर्भर करता है कि बाजार ने 'पैराशूट' को 'हेयर ऑयल' के रूप में कैसे समझा है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि संघर्ष के मामले में, सी. ई. एस. टी. ए. टी. की टैरिफ अनुसूची में निहित नोट एच. एस. एन. पर हावी होंगे और विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

22. प्रत्यर्थी (ओं)/निर्धारिती (ओं) का तर्कःविषयवस्तु

उत्तरदाताओं/मूल्यांकनकर्ताओं में से यह है कि शुद्ध 'नारियल तेल' में 'खाद्य तेल' के रूप में चिह्नित और खाद्य मिलावट रोकथाम (पी. एफ. ए.) लाइसेंस के तहत निर्मित नारियल (कोपरा तेल) की सभी किस्में शामिल हैं।

'बाल पर उपयोग के लिए तैयारी' को 'बाल' के रूप में वर्गीकृत किया जाए

अध्याय 33 टैरिफ आइटम 33 05 के तहत केवल पैकेजिंग के छोटे आकार के कारण तेल।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बागरिया ने प्रस्तुत किया कि खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1988 के वैधानिक प्रावधान के तहत क्र. सं. वजन और माप मानक (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 1977 की अनुसूची III के तहत खाद्य तेल को 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली, 1 लीटर या 2 लीटर के निर्दिष्ट आकार में पैक किया जाएगा जो पूरी तरह से उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों की अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त 'खाद्य तेल' को कानून के तहत आवश्यक आकार के अनुसार पैक करने से, 'खाद्य तेल' 'खाद्य तेल' बनना बंद नहीं होता है और 'हेयर ऑयल' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ताकि 33.05 के तहत वर्गीकरण को आकर्षित किया जा सके।रिलायंस को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रखा गया था

सहायक आयुक्त बनाम मैरिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2006 एस. सी. सी. ऑनलाइन

राज 446 ने तर्क दिया कि विभिन्न आर्थिक स्तरों पर उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किए जा रहे छोटे पैकेजिंग से 'खाद्य नारियल तेल' को अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा।रिलायंस को मैरिको लिमिटेड बनाम आयुक्त, वाणिज्यिक कर, यूपी (2015) 78 वीएसटी 423 मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भी रखा गया था।

23. क्या न्यायाधिकरण अध्याय 15 के तहत विवादित वस्तुओं को वर्गीकृत करने में सही थाः– न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया कि अध्याय

15 नारियल तेल की सभी किस्मों को शामिल करता है, खाद्य के साथ–साथ गैर–खाद्य भी।सी. ई. टी. ए., 1985 की अनुसूची की धारा III के अध्याय 15 में "पशु या वनस्पति वसा और तेल" शामिल हैं।1513 का शीर्षक इस प्रकार हैः–

"1513

नारियल (कोपरा), ताड़ की गुठली या बाबासु तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंश

–

1513 11 00–– कच्चा तेल 1513 19 00–– अन्य ए

मेसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी कर्मचारियों और एम. ए. आई. पी. एल. द्वारा निर्मित और स्वीकृत 'नारियल तेल' को उप–शीर्षक 3305 के तहत 'हेयर ऑयल' के रूप में या उप–शीर्षक 1513 के तहत 'सब्जी तेल' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।हालाँकि, जब 'नारियल तेल' को खुदरा में बेचे जाने वाले प्रकार की पैकिंग में रखा जाता है, जो बालों पर आवेदन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, तो टैरिफ प्रविष्टि 33.05 के तहत वर्गीकरण के योग्य होगा।अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 और धारा 6 की धारा टिप्पणी 2 में संशोधन लाना विधानमंडल का उद्देश्य है। अध्याय 15 के अध्याय नोट 1 (ई) में यह प्रावधान है।

अध्याय में धारा VI के माल शामिल नहीं हैं।इस बहिष्करण में है

इस तथ्य की स्पष्ट अनुरूपता और मान्यता कि जो वस्तुएं अन्यथा धारा VI के तहत आती हैं, वे अध्याय 33 (वस्तुओं का उपयोग, पैकिंग की प्रकृति, प्रपत्र आदि) में निहित अध्याय टिप्पणियों की शर्तों के अनुसार और अनुसूची के किसी अन्य शीर्ष के तहत वर्गीकृत नहीं की जा सकती हैं।यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अध्याय 15 में खाद्य और गैर–खाद्य नारियल तेल की सभी किस्में शामिल हैं, न्यायाधिकरण ने संशोधन लाने में विधायिका के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रखते हुए गलती की।

24. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, मैसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार हैः– (i) मेसर्स मैरिको से प्राप्त तेल को उतारा जाता है और इकाई में भंडारण टैंकों में संग्रहीत किया जाता है और इसे यांत्रिक फ़िल्टरिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और दूसरे टैंक में संग्रहीत किया जाता है, फिर भरने वाली मशीनों द्वारा छोटे कंटेनरों को भरने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। (ii) रिसाव, अपशिष्ट, अतिप्रवाह आदि से प्राप्त तेल को एकत्र किया जाता है और बचाव तेल टंकी में डाला जाता है और इसे पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और दो घंटे के लिए टैंकर में 9 मीट्रिक टन नारियल तेल या तीन घंटे के लिए 16 मीट्रिक टन नारियल तेल टैंकर के साथ मिलाया जाता है। (iii)

एच. डी. पी. ई. पात्रों के निर्माण के लिए, आवश्यक अनुपात में एच. डी. पी. ई. दाने और मास्टर बैच को मिलाया जाता है और सांचे में डाला जाता है और नीले रंग के पात्र प्राप्त किया जाता है; फिट पात्र को गर्म करने के लिए भेजा जाता है और फिर मेसर्स मैरिको लिमिटेड द्वारा आवश्यक ट्रेडमार्क और लोगो और अन्य विवरणों को छापने के लिए नीले, हरे और सफेद रंग की प्रिंटिंग स्याही के साथ स्क्रीन–प्रिंटिंग; (iv) अपशिष्ट पीसने की सामग्री और 8 प्रतिशत छर्रों को पात्रों के निर्माण के लिए कुंवारी दाने के साथ मिलाया जाता है; और (v) पात्रों को फिर पतले प्लास्टिक से लपेटा जाता है और कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किया जाता है और मेसर्स के डिपो में भेजा जाता है। मैरिको लिमिटेड

25. आयुक्त द्वारा ऑर्डर–इन–ओरिजिनल ने इस तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया कि मेसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी कर्मचारियों द्वारा निर्मित एच. डी. पी. ई. कंटेनरों को मैकेनिकल फ़िल्टरिंग के बाद मेसर्स मोरेश्वर में टैंकों में संग्रहीत नारियल तेल को 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली, 1 लीटर में पैक किया जाता है। खुदरा उपयोग के लिए 2 लीटर कंटेनर और इन खुदरा पैक की आपूर्ति मैसर्स मैरिको डिपो को प्रेषण अनुसूची के अनुसार की जाती है।पैकेजिंग पर दिया गया विवरण 100% शुद्ध नारियल तेल है जिस पर 'पैराशूट' का निशान है।जहाँ तक पहले घटक "उत्पाद मिश्रित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है", जैसा कि पहले चर्चा की गई है,

विवादित माल "नारियल का तेल" शुद्ध तेल है और एक मिश्रित उत्पाद नहीं है और इस प्रकार, पहली शर्त पूरी हो जाती है।जहाँ तक दूसरी शर्त की बात है,

"उत्पाद इनके तहत एक वस्तु के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

शीर्षक (33 03 से 33 07) "भी संतुष्ट है।इस प्रकार, नोट 3 से अध्याय नोट 33 के पहले और दूसरे घटकों में उत्पाद हो सकता है या हो सकता है।

"मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए" और "उत्पाद इन शीर्षकों (33 05) के तहत एक वस्तु के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होना चाहिए" संतुष्ट हैं।

26. जैसा कि 'कॉमन पार्लेन्स टेस्ट' को लागू करके चर्चा की गई है, छोटे पात्रों में पैक किए गए शुद्ध नारियल तेल को विक्रेता और उपभोक्ता द्वारा और बाजार में 'हेयर ऑयल' के रूप में समझा जाता है।अभिव्यक्ति

"इन शीर्षकों में वस्तुओं के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त" जैसा कि अध्याय में उपयोग किया गया है

नोट 3 से अध्याय 33 तक इंगित करता है कि 'बाल तेल' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त तेल या शीर्ष 33 05 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं, भले ही उनका उपयोग नहीं किया गया हो।नोट 3 से अध्याय 33 के अनुसार, जो मायने रखता है वह इस तरह के उपयोग के लिए उपयुक्तता है, यदि जिसका उत्तर 'हां' है, तो माल को अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।जहाँ तक अगले घटक की बात है, उत्पाद को अंदर रखा जाना चाहिए।

इस तरह के उपयोग की सुविधा प्रदान करने वाले खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग ", संतुष्ट है

फिर उन्हें अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।जैसा कि ऑर्डर-इन-ओरिजिनल में बताया गया है और जैसा कि एम. ए. आई. पी. एल. और मैसर्स मोरेश्वर और अन्य नौकरी कर्मचारियों के मामले में भी पहले चर्चा की गई है, उत्पाद को छोटे टुकड़ों में पैक किया जाता है।

50 मिली, 100 मिली, 200 मिली, 500 मिली जैसे पात्रों में मात्रा जिसमें ब्रांड ट्रेडमार्क 'पैराशूट' भी होता है।

27. जहाँ तक प्रतिवादी-एम. ए. आई. पी. एल. का संबंध है, नारियल को कुचला जाता है और शुद्ध नारियल तेल को 5 मिली., 50 मिली., 100 मिली., 200 मिली., 500 मिली. और एक लीटर पाउच में पैक किया जाता है और 50 मिली., 100 मिली., 200 मिली., 500 मिली. और एक लीटर डिब्बे में कंटेनर भी पैक किए जाते हैं और 'शांति' ब्रांड नाम से बेचे जाते हैं।यहाँ फिर से, इन पाउच/कंटेनरों को इतने छोटे पैकेजिंग में इस अर्थ में समझते हुए कि व्यापार में, डीलर और उपभोक्ता इसे कैसे समझते हैं।आयुक्त का यह मानना सही था कि वे बालों पर उपयोग के लिए उपयुक्त 'हेयर ऑयल' थे।

28. जहां तक 'पैराशूट' का संबंध है, राजस्व विभिन्न सामग्रियों पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता और अन्य लोग व्यापार में कैसे लगे हुए हैं।

'बालों की प्रकृति की देखभाल' के लिए 'पैराशूट' को समझा जाता है जिसमें शामिल हैं

हेयर ऑयल से जुड़े ट्रेडमार्क No.1033842 क्लास-3-पैराशूट का पंजीकरण। राजस्व का आशय यह है कि नारियल तेल की बाजार पहचान 'हेयर ऑयल' है न कि 'खाद्य श्रेणी के तेल' के रूप में।राजस्व ने 'पैराशूट' की वेबसाइट (ऑर्डर-इन-ओरिजिनल No.06/2008-(C) दिनांक 28.02.2008 के माध्यम से) का भी उल्लेख किया है, जिसमें 'पैराशूट' को 'हेयर ऑयल' के रूप में वर्णित किया गया है और यह नीचे दिया गया है:-

"प्रकृति देखभाल प्रभाग (कारोबार का 55 प्रतिशत):पैराशूट भारतीय बाजार में पहला ब्रांडेड नारियल तेल था और बालों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले नारियल तेल का एक सामान्य नाम बन गया है। वर्तमान में ब्रांडेड नारियल तेल बाजार में इसकी 52 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है।मैरिको के कारोबार में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान अकेले पैराशूट ब्रांड का है।नारियल और पैराशूट ब्रांड के बीच मजबूत संबंध

बनाने और मजबूत करने के लिए, मैरिको ने नए नारियल आधारित उत्पादों को विकसित करने के लिए एक शोध केंद्र की स्थापना की है।इन वर्षों में, कंपनी ने 'पैराशूट जैस्मीन', 'पैराशूट डैंड्रफ सॉल्यूशन' आदि जैसे कई ब्रांड एक्सटेंशन लॉन्च किए हैं।29. प्रत्यर्थी/निर्धारिती द्वारा एक तर्क दिया गया था कि पैकेजिंग/कंटेनरों में इस प्रभाव का कोई लेबल/संकेत नहीं है कि विषय वस्तुओं का उपयोग बालों पर किया जाता है।यह तर्क कि पैकेजिंग में 'खाद्य तेल' के रूप में विवरण है और पैकिंग पर कोई संकेत नहीं था कि यह 'हेयर ऑयल' है, इसका कोई महत्व नहीं है।संशोधन के बाद, यह कोई आवश्यकता नहीं है कि पैकेजिंग/कंटेनरों पर इस प्रभाव का लेबल होना चाहिए कि माल का उपयोग बालों पर किया जाता है।नोट ए के अनुसार 3 से अध्याय 33 तक, कोई भी उत्पाद जो इन शीर्षकों में माल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है और जो खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखा गया है।

इस तरह के उपयोग को अध्याय 33 के तहत 'बाल तेल' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।जब तक उत्पाद 'हेयर ऑयल' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है और यदि इसे इस तरह से पैक किया गया है कि यह 'हेयर ऑयल' के उद्देश्यों के लिए उपयोग करने योग्य है, तो इसे अध्याय 33 के तहत 'हेयर ऑयल' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

30. भारत सरकार, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री और सार्वजनिक खोज परिणाम से पता चलता है कि ट्रेडमार्क No.1033842 क्लास–3–पैराशूट बालों के तेल, बालों के लोशन आदि से जुड़ा हुआ है। 'पैराशूट' ब्रांड के ट्रेडमार्क का पंजीकरण बाल तेल, बाल लोशन, बाल उगाने की तैयारी, बाल टॉनिक आदि जैसी वस्तुओं की बिक्री के लिए है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि बाल तेल के साथ पहचाने गए लेबल का पहलू 'नारियल तेल' को 'बाल तेल' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए राजस्व के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि यह आरोप है कि नौकरी करने वाले कर्मचारियों ने बाल तेल के विपणन के लिए हरे रंग के लेबल का उपयोग किया था। न्यायाधिकरण के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः–

7. इसके अलावा, मैरिको का भौतिक आरोप कि उसके नौकरी कर्मचारियों ने विशेष रूप से बालों के तेल के विपणन के लिए हरे रंग के लेबल का उपयोग किया था, कारण बताए जाने के नोटिस में अनुपस्थित था।मैरिको ने कभी भी ऑरेंज लेबल के तहत किसी भी उत्पाद का विपणन नहीं किया था और केवल ग्रीन लेबल का उपयोग करके अपने उत्पादों की पूरी श्रृंखला का विपणन किया था।हम पाते हैं कि बाल तेल के साथ पहचाने जाने वाले किसी भी लेबल के अभाव में, लेबल का यह पहलू नारियल तेल को बाल तेल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए राजस्व के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।ट्रेडमार्क या लेबल के उपयोग का वर्गीकरण पर कोई असर नहीं पड़ता है।पीठ ने कहा, "न्यायाधिकरण का यह कहना सही नहीं है कि प्रतिवादी–एम/एस को कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया है।मोरेश्वर और अन्य नौकरी कर्मचारी विशेष रूप से बाल तेल के विपणन के लिए हरे रंग के लेबल का उपयोग करने पर अनुपस्थित थे।कारण दिखाएँ नोटिस के पैरा (3.4.2) में स्क्रीन–प्रिंटिंग को निम्नानुसार संदर्भित किया गया हैः–

डी. पी. ई. के दाने और मास्टर बैच को आवश्यक अनुपात में मिलाया जाता है और सांचे में डाला जाता है और नीले रंग का पात्र प्राप्त किया जाता है।रनर्स और रेजर को हटा दिया जाता है और कंटेनर की जांच की

जाती है और यदि यह फिट नहीं है, तो उसे पीसने के लिए भेजा जाता है।फिट कंटेनर को गर्म करने के लिए भेजा जाता है और फिर मैरिको लिमिटेड द्वारा आवश्यक ट्रेडमार्क और लोगो और अन्य विवरणों को छापने के लिए नीली, हरी और सफेद रंग की प्रिंटिंग स्याही के साथ स्क्रीन–प्रिंटिंग की जाती है।

कारण दर्शाओ नोटिस के पैरा (3.4.5) (4.1) के अलावा बाल तेल के संबंध में ट्रेडमार्क के पंजीकरण के लिए आवेदन की स्कैन की गई प्रति शामिल है।कारण दिखाएँ नोटिस की सामग्री, रंग, हरे रंग के 'लेबल' की छपाई और ट्रेडमार्क के बारे में भी स्पष्ट कथन हैं।इसलिए, न्यायाधिकरण का यह कहना सही नहीं है कि बाल तेल के विपणन के लिए हरे रंग के लेबल के उपयोग के संबंध में कारण बताएँ नोटिस अनुपस्थित है और कंटेनरों पर बाल तेल के लिए ट्रेडमार्क का पंजीकरण अध्याय 33 के तहत उत्पाद को बाल तेल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कोई महत्व नहीं रखता है।

31. क्या 'नारियल तेल' का वर्गीकरण अध्याय 15 के अंतर्गत आता है और व्याख्यात्मक नियम 3 लागू होता है

स्वीकार्य हैः– संशोधन के बाद शीर्षक 15 13 निम्नानुसार हैः–

1513

नारियल (कोपरा), ताड़ की गुठली या बाबासु तेल और उसके अंश, चाहे परिष्कृत हों या नहीं, लेकिन रासायनिक रूप से संशोधित नहीं

– नारियल (कोपरा) तेल और उसके अंश 1513 11 00–– कच्चा तेल

1513 19 00–– अन्य–ताड़ की गुठली या बाबासु तेल और उसके अंश ए

32. निर्धारिती का तर्क है कि अध्याय 15 के तहत 'नारियल तेल' का विवरण विशिष्ट है और इसलिए व्याख्यात्मक नियमों के नियम 3 (ए) के संदर्भ में विषय वस्तुओं पर लागू होता है।यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है कि "व्याख्या के लिए सामान्य नियम" का नियम 3 (ए) अनिवार्य है।

केवल तभी जब शीर्षक और प्रासंगिक धाराएँ और अध्याय टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से वर्गीकरण का निर्धारण नहीं करती हैं।यह तर्क कि अध्याय 15 के तहत "नारियल तेल (कोपरा)" का विवरण विशिष्ट है और इसलिए, विवादित वस्तुओं पर लागू होता है, स्वीकृति के योग्य नहीं है क्योंकि माल का वर्गीकरण शीर्षकों, सापेक्ष अध्याय टिप्पणियों और धारा टिप्पणियों और व्याख्यात्मक नियमों के मुख्य नियम 1 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर निर्धारित होता है।विवादित वस्तुओं का वर्गीकरण मुख्य रूप से शीर्षकों, सापेक्ष अध्याय टिप्पणियों और अनुभाग टिप्पणियों पर आधारित है जो व्याख्यात्मक नियमों के नियम 1 के अनुसार इस संबंध में सर्वोपरि हैं।

33. नियम 3 उन मामलों में वर्गीकरण का प्रावधान करता है जब सामान दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।उचित मूल्यांकन के लिए, पुनरावृत्ति के जोखिम पर, व्याख्यात्मक नियमों के नियम 3 का उल्लेख करना आवश्यक है जो नीचे दिया गया हैः–

3. जब नियम 2 के उप–नियम (बी) को लागू करके या किसी अन्य कारण से, वस्तुओं को प्रथम दृष्टया दो या दो से अधिक शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्गीकरण निम्नानुसार प्रभावी होगाः–

(क) अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों की तुलना में सबसे विशिष्ट विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी।हालांकि, जब दो या दो से अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं में निहित सामग्री या पदार्थों के केवल एक हिस्से को संदर्भित करता है या एक समूह में वस्तुओं के केवल भाग को संदर्भित करता है, तो उन शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाना चाहिए, भले ही उनमें से एक माल का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण देता हो।(ख) मिश्रण, विभिन्न सामग्रियों से युक्त या विभिन्न घटकों से बने मिश्रित सामान, और सेटों में रखे गए सामान, जिन्हें (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, को इस तरह वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि वे ऐसी सामग्री या घटक से बने हों जो उन्हें उनकी आवश्यक प्रकृति देता हो, जहां तक यह मानदंड लागू है।(ग) जब वस्तुओं को (क) या (ख) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उन शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में अंत में आते हैं जो समान रूप से विचार के योग्य हैं।नियम 3 (बी) खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए विभिन्न सामग्रियों या विभिन्न घटकों और वस्तुओं से बने मिश्रणों, मिश्रित वस्तुओं के वर्गीकरण का तरीका प्रदान करता है।चूंकि 'नारियल तेल' मिश्रित या मिश्रित वस्तु नहीं है, इसलिए नियम 3 (बी) का कोई उपयोग नहीं है।नियम 3 (ए) में कहा गया है कि सबसे विशिष्ट विवरण को अधिक सामान्य विवरण की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।वर्तमान मामले में, जब आइटम विवरण को अध्याय टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है, तो अनुभाग टिप्पणियाँ और वर्गीकरण के लिए परीक्षण जो कि टैरिफ आइटम 1513.19.00 और 3305.90.19 हैं, समान रूप से विशिष्ट होते हैं।इसलिए, नियम 3 (सी) के अनुसार, जब वस्तुओं को (ए) या (बी) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में उन लोगों के बीच अंतिम होता है जो समान रूप से वर्गीकरण के योग्य हैं।इसलिए, प्रत्यर्थीगणओं द्वारा निर्मित नारियल तेल को सही शीर्षक 3305.90.19 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि यह शुल्क के संख्यात्मक क्रम में अंतिम होता है।

34. भारत संघ में और ओ. आर. एस. बनाम.भारतीय कीटनाशक विनिर्माण और सूत्रीकरण संघ, (2002) 8 एस. सी. सी. 410, यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि दो विशिष्ट शीर्षक हैं जिन पर किसी उत्पाद को संदर्भित किया जा सकता है, तो बाद में होने वाला शीर्षक प्रबल होगा।

35. न्यायाधिकरण ने इस मांग को इस आधार पर खारिज कर दिया कि "नारियल तेल" सी. ई. टी. ए., 1985 के अध्याय शीर्ष 15.03 के तहत वर्गीकरण के योग्य होगा, जो उत्पाद शुल्क की 'शून्य' दर को आकर्षित करेगा, न कि सी. ई. टी. ए. के अध्याय शीर्ष 33.05 के तहत 16 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को आकर्षित करेगा।न्यायाधिकरण ने यह स्वीकार न करने में गलती की कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 में एक संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार (नोट 3 से अध्याय 33) शीर्ष संख्या।3303 से 3307 तक, अन्य बातों के साथ-साथ, उन उत्पादों पर लागू होगा जो इन शीर्षकों के माल के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं या नहीं और इस तरह के उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे गए हैं।कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम में रिपोर्ट किए गए मामले कानून।

सीसीई 2002 (139) ईएलटी 633 (टी); श्रीकांत सैचेट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम.सी. सी. ई. 2005 (180) ई. एल. टी. 401 (टी); और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम एसेन उत्पाद (आई) लिमिटेड 2006 (200) ई. एल. टी. 342 (टी) आदि पर न्यायाधिकरण ने भरोसा किया और बोर्ड का परिपत्र दिनांक 31.08.1995 01.03.2005 से पहले की अवधि से संबंधित मामलों से निपट रहा था।न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्ष को आधार बनाने के लिए संशोधन से पहले के पूर्व आदेशों/परिपत्र पर भरोसा करना सही नहीं था कि अध्याय 15 के तहत नारियल तेल दोनों खाद्य और गैर-खाद्य गुणों का वर्गीकरण करता है।

36. वर्गीकरण के लिए परीक्षणःउच्चतम न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि शुल्क अनुसूची में किसी वस्तु का वर्णन करने वाले शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ या अर्थ को निर्धारित करने में, एक सिद्धांत जो काफी अच्छी तरह से तय किया गया है, वह यह है कि उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ उस अर्थ में लगाया जाना चाहिए जिसमें वे व्यापार में, व्यापारी और उपभोक्ता द्वारा समझे जाते हैं।कोई विशेष वस्तु किसी विशेष शुल्क शीर्षक के अंतर्गत आएगी या नहीं, यह इस आधार पर तय किया जाना चाहिए कि उस वस्तु को 'सामान्य बोलचाल' में या 'वाणिज्यिक दुनिया' में कैसे समझा जाता है, न कि वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ के अनुसार।के मामले में

एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (1988) 2 एस. सी. सी.

470, यह माना गया है कि जब किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, तो उस पर अपने लोकप्रिय अर्थ में विचार किया जाना चाहिए, न कि वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ में।

37. प्लाज्मैक मशीन में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद विनिर्माण कंपनी (पी) लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर,

बॉम्बे 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 57, यह इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः– "15.. यह वर्गीकरण का एक स्वीकृत सिद्धांत है कि वस्तुओं को उनके लोकप्रिय अर्थ के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए या जैसा कि उन्हें उनके व्यावसायिक अर्थ में समझा जाता है, न कि वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ के अनुसार।भारत अंतर्राष्ट्रीय उद्योग बनाम.

सी. एस. टी. (1981) 2 एस. सी. सी. 528 और डनलप इंडिया लिमिटेड बनामभारत संघ (1976) 2 एस. सी. सी. 241 ने इस प्रस्ताव का निपटारा किया है।उत्पाद के साथ काम करने वाले या उपयोग करने वाले लोगों के वर्ग या वर्ग द्वारा उत्पाद की पहचान कैसे की जाती है, यह भी एक परीक्षा है जब कानून में स्वयं कोई परिभाषा नहीं होती है और वाणिज्यिक बोलचाल तब महत्वपूर्ण होगी जब माल विपणन योग्य हो जैसा कि अतुल में आयोजित किया गया था।

ग्लास इंडस्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड वी.सी. सी. ई. (1986) 3 एस. सी. सी. 480 और इंडियन एल्यूमीनियम केबल्स लिमिटेड बनामभारत संघ (1985) 3 एस. सी. सी. 284।में।

एशियन पेंट्स इंडिया लिमिटेड बनामसी. सी. ई. (1988) 2 एस. सी. सी. 470 जो इमल्शन पेंट का मामला था, पैरा 8 में कहा गया थाः(एस. सी. सी. पी. 473, पैरा 8) "यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि प्रशुल्क वस्तुओं में अभिव्यक्तियों को वाणिज्यिक अर्थ दिया जाना चाहिए।जहाँ किसी शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, वहाँ इसका अर्थ इसके लोकप्रिय अर्थ में लगाया जाना चाहिए।लोकज्ञान का अर्थ है कि जिस विषय वस्तु से कानून व्यवहार कर रहा है, उससे परिचित लोग उस भावना को श्रेय देंगे।""

38. डाबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम.केंद्रीय आयुक्त आबकारी, जमशेदपुर (2005) 4 एस. सी. सी. 9 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी उत्पाद को वर्गीकृत करने में, वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि परीक्षण यह देखना था कि उत्पाद का उपयोग करने वाले व्यक्ति इसे क्या समझते हैं।

39. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम वॉकहार्ट लाइफ साइंसेज लिमिटेड (2012) 5 एस. सी. सी. 585, इस न्यायालय ने "सामान्य" पर जोर दिया।

पार्लेन्स टेस्ट "या पैराग्राफ (33) से (37) में" वाणिज्यिक उपयोग परीक्षण" और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः– "33. कर योग्य वस्तु के वर्गीकरण के लिए कोई निश्चित परीक्षण नहीं है।शायद यही कारण है कि "सामान्य बोलचाल परीक्षण" या "वाणिज्यिक उपयोग परीक्षण" सबसे आम हैं (ए. नागराजू ब्रदर्स देखें।v. ए. पी. राज्य 1994 सप्लीमेंट (3) एस. सी. सी. 122)।कोई विशेष वस्तु किसी विशेष शुल्क शीर्षक के अंतर्गत आएगी या नहीं, यह ठोस सामग्री या साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस तरह के लेख को "सामान्य बोलचाल" या "वाणिज्यिक दुनिया" या "व्यापार मंडल" में या इसके लोकप्रिय अर्थ में कैसे समझा जाता है।यह वे हैं जो इससे संबंधित हैं और यह वह अर्थ है जिसमें वे इसे

समझते हैं जो विधायी इरादे के निश्चित सूचकांक का गठन करता है, जब क़ानून था अधिनियमित (देखें दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम.राज्य राजस्थान (1980) 4 एस. सी. सी. 71)।

34. यह निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद अध्याय 30 के भीतर आता है या नहीं, आवश्यक कारकों में से एक यह है कि क्या उत्पाद को आम बोलचाल में एक दवा उत्पाद के रूप में समझा जाता है [सी. सी. ई. बनाम देखें।

श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड (2009) 12 एस. सी. सी. 419 और सी. सी. ई. बनाम ईशान रिसर्च लैब (पी) लिमिटेड (2008) 13 एस. सी. सी. 349।

इसके अलावा, किसी विशेष उत्पाद में उपयोग की जाने वाली दवा की मात्रा भी एक प्रासंगिक कारक नहीं होगी, क्योंकि आम तौर पर, औषधीय अवयवों के उपयोग की सीमा बहुत कम होती है क्योंकि इसका अधिक उपयोग किया जा सकता है।

मानव शरीर के लिए हानिकारक।[प्यूमा आयुर्वेदिक हर्बल (पी) लिमिटेड बनाम।सी. सी. ई. (2006) 3 एस. सी. सी. 266, गोवा राज्य बनाम कोलफैक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड। (2004) 9 एस. सी. सी. 83 और बी. पी. एल. फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनामसी. सी. ई. 1995 पूरक (3) एस. सी. सी. 1.]

35. हालांकि, किसी वस्तु के सही वर्गीकरण के लिए एक स्थिर मापदंड नहीं हो सकता है।यह न्यायालय भारतीय एल्यूमीनियम केबल्स लिमिटेड बनाम.भारत संघ (1985) 3 एस. सी. सी. 284 ने इस सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है:(एस. सी. सी. पृष्ठ 291, पैरा 13) "13. सही स्थिति को जोड़ते हुए, किसी उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया और उसका अंतिम उपयोग, जो आवश्यक रूप से केंद्रीय उत्पाद शुल्क की तरह वित्तीय अनुसूची के तहत उस उत्पाद के वर्गीकरण का निर्धारक नहीं हो सकता है।इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या लेख का व्यापक विवरण टैरिफ में उपयोग की गई अभिव्यक्ति के साथ फिट बैठता है।"

36. इसके अलावा, जिस वस्तु को वर्गीकृत किया जा रहा है, उसकी कार्यात्मक उपयोगिता और प्रमुख या प्राथमिक उपयोग को आम बोलचाल की समझ के अलावा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[ओ. के. प्ले (इंडिया) लिमिटेड बनाम देखें।सी. सी. ई. (2005) 2 एस. सी. सी. 460, अल्पाइन इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई. (2003) 3 एस. सी. सी. 111, सुजानिल चेमो इंडस्ट्रीज बनाम सी. सी. ई. और सीमा शुल्क (2005) 4 एस. सी. सी. 189, आई. सी. पी. ए. स्वास्थ्य उत्पाद (पी) लिमिटेड बनाम।सी. सी. ई. (2004) 4 एस. सी. सी. 481, प्यूमा आयुर्वेदिक हर्बल (2006) 3 एस. सी. सी. 266, ईशान रिसर्च लैब (पी) लिमिटेड (2008) 13 एस. सी. सी. 349 और सी. सी. ई. बनाम यूनी प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड (2009) 9 एस. सी. सी. 295]

37. किसी वस्तु को एक विशिष्ट प्रविष्टि की उपस्थिति में अवशिष्ट प्रविष्टि में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, भले ही ऐसी विशिष्ट प्रविष्टि के लिए उत्पाद को तकनीकी अर्थों में समझने की आवश्यकता हो (अकबर देखें)।

बदरूद्दीन गिवानी बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (1990) 2 एस. सी. सी. 203 और कम.सीमा शुल्क बनाम जी. सी. जैन (2011) 12 एस. सी. सी. 713)।ए ए

अवशिष्ट प्रविष्टि को केवल एक विशिष्ट प्रविष्टि के अभाव में शरण ली जा सकती है; अर्थात, बाद वाला हमेशा

पूर्व [देखें सी. सी. ई. बनाम जयंत ऑयल मिल्स (पी) लिमिटेड (1989) 3 एस. सी. सी. 343, एच. पी. एल. केमिकल्स लिमिटेड बनाम।सी. सी. ई. (2006) 5 एस. सी. सी. 208, वेस्टर्न इंडिया प्लाईवुड्स लिमिटेड बनामसीमा शुल्क कलेक्टर (2005) 12 एस. सी. सी. 731 और सी. सी. ई. बनाम कैरियर एयरकॉन लिमिटेड (2006) 5 एस. सी. सी. 596]।

40. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली बनाम वाहक एयरकॉन

लिमिटेड (2006) 5 एस. सी. सी. 596, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः– "14. जिस उत्पाद का अंतिम उपयोग किया जाता है, वह उत्पाद के वर्गीकरण का निर्धारक नहीं हो सकता है।भारतीय देखें

एल्यूमीनियम केबल्स लिमिटेड बनामभारत संघ (1985) 3 एस. सी. सी. 284।

उत्पाद के वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।वर्गीकरण के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक कारक अन्य बातों के साथ–साथ वैधानिक राजकोषीय प्रविष्टि, वस्तुओं का मूल चरित्र, कार्य और उपयोग हैं।जब कोई वस्तु उस उद्देश्य के आधार पर शुल्क प्रविष्टि के दायरे में आती है जिसके लिए उसे रखा जाता है (उत्पादित), तो उस उत्पाद का अंतिम उपयोग उस उत्पाद के वर्गीकरण को निर्धारित नहीं कर सकता है।"

41. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 3 का अध्याय 15 किससे संबंधित है

पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके दरार उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या वनस्पति मोम।उप–प्रमुख 1513

नारियल (कोपरा) से संबंधित है।विवादित वस्तुओं के वर्गीकरण के रूप में विवादास्पद मुद्दों पर विचार करने से पहले, यह इंगित करना आवश्यक है कि बाजार में 'नारियल तेल' को कैसे समझा और व्यवहार किया जाता है।

42. जैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनामभारत संघ 1987 (29) ई. एल. टी.

753 डेल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'नारियल तेल' के उपयोग और 'नारियल तेल' की आयात क्षमता के संदर्भ में विचार किया, जो निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित हैः–

"25. यह सर्वविदित है कि हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से में नारियल तेल का उपयोग खाद्य तेल के रूप में बिल्कुल नहीं किया जाता है।विंध्य तक भारत के लगभग सभी हिस्सों में नारियल तेल का उपयोग खाद्य माध्यम के रूप में नहीं किया जाता है।देश के बाकी हिस्सों में भी हालांकि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर कुछ बहुत छोटे हिस्से में किया जाता है, लेकिन दूसरे हिस्से के अधिकांश हिस्सों में इसका उपयोग बहुत कम होता है।इसलिए आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति बाजार में जाता है और नारियल का तेल मांगता है, तो उससे सामान्य सवाल पूछा जाएगा कि क्या उसे इसकी आवश्यकता बालों के तेल के रूप में है या शैम्पू के रूप में। आम तौर पर कोई नहीं समझेगा। नारियल तेल का अर्थ केवल खाद्य किस्म है क्योंकि यह सामान्य प्रमुख उपयोग नहीं है।एक व्यक्ति को विशेष रूप से स्पष्ट करना होगा कि नारियल तेल की मांग करके वह अपनी मंशा स्पष्ट करने के लिए खाद्य किस्म की मांग कर रहा है।इस प्रकार आयात नीति में नारियल तेल को अपने आप में और सामान्य बोलचाल में नारियल तेल की खाद्य किस्म और औद्योगिक किस्म दोनों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा।यदि केवल एक किस्म के नारियल तेल को ढंकना था, तो यह मानना अधिक सुसंगत होगा कि यह गैर–खाद्य उद्देश्य के लिए नारियल तेल के भारी उपयोग को देखते हुए औद्योगिक प्रकार है। लेकिन प्रवेश कभी भी केवल खाने योग्य किस्म के नारियल तक ही सीमित नहीं रहेगा।

तेल.. "[रेखांकित किया गया जोड़ा गया]

यद्यपि उपरोक्त अवलोकन 'नारियल तेल' की आयात क्षमता के संदर्भ में है, 'नारियल तेल' के अत्यधिक उपयोग और नारियल तेल के बारे में तथ्य को आम तौर पर 'बाल तेल' के रूप में समझा जाता है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।यह आम जानकारी की बात है कि देश के कई हिस्सों में 'नारियल तेल' का व्यापक रूप से 'हेयर ऑयल' के रूप में उपयोग किया जाता है और आमतौर पर खाद्य तेल के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग देश के कुछ ही क्षेत्रों में खाद्य तेल के रूप में किया जाता है।आम तौर पर कोई भी 'नारियल तेल' का अर्थ केवल खाद्य तेल के रूप में नहीं समझेगा क्योंकि यह 'खाद्य तेल' का प्रमुख उपयोग नहीं है।जिस क्षण हमने माना कि विवादित माल–नारियल का तेल 'हेयर ऑयल' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, जैसा कि चर्चा की गई है, इसे केवल अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जाना है।

43. जैसा कि पहले बताया गया है, राजस्व उन सामग्रियों की संख्या पर निर्भर करता है जो व्यापार, व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने 'पैराशूट' को 'हेयर ऑयल' के रूप में समझा है।ऊपर उद्धृत वॉकहार्ट लाइफ साइंसेज लिमिटेड के पैरा (36) में, इस न्यायालय ने "कार्यात्मक उपयोगिता और

उस वस्तु का प्रमुख या प्राथमिक उपयोग जिसे लिया जाना है

उत्पाद को वर्गीकृत करते समय ध्यान में रखें।जैसा कि पहले चर्चा की गई है, संशोधन के बाद जो अधिक प्रासंगिक है वह है 'हेयर ऑयल' के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान की उपयुक्तता और आम बोलचाल में उत्पाद का उपयोग।44. ऑर्डर-इन-ओरिजिनल No.06/2008-(C) में, संदर्भ को उनके उपभोक्ताओं द्वारा उत्पाद के बारे में प्रतिक्रिया और उनके प्रभाव और अनुभवों के लिए भी संदर्भित किया जाता है।इसमें मेसर्स मैरिको लिमिटेड के विपणन प्रभाग के प्रमुख श्री अरविंद मेदिरत्ता के साक्षात्कार का भी उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि 'पैराशूट' ब्रांड 'हेयर ऑयल' से जुड़ा हुआ है जबकि सफोला ब्रांड खाद्य (खाना पकाने) तेल से जुड़ा हुआ है।राजस्व ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिनांक 1 में एक लेख का भी उल्लेख किया है जिसमें मेसर्स मैरिको के नेचर केयर डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई. ओ.) श्री श्रीकांत गुप्ता ने कहा कि वे चाहते हैं कि 'पैराशूट' ब्रांड को बालों को पोषण देने की उपयोगिता के साथ एक कॉस्मेटिक ब्रांड के रूप में माना जाए।

45. अपीलार्थी ने नारियल विकास बोर्ड (कृषि मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय) द्वारा नारियल तेल पर निम्नलिखित लेख पर भरोसा किया हैः-

"देश में नारियल तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए वसा, बालों के तेल, शरीर के तेल और औद्योगिक तेल के रूप में किया जाता है। नारियल तेल का थोक में विपणन किया जाता है और साथ ही 5 मिलीलीटर से लेकर 15 किलोग्राम टिन वाले थैलों में भी किया जाता है।छोटे पैक में ब्रांडेड नारियल तेल को मुख्य रूप से बालों के तेल और शरीर के तेल के रूप में बेचा जाता है।"

46. एक कर कानून वह है जो वस्तुओं पर कर लगाता है, किसी तकनीकी शब्द या विज्ञान या कला के शब्द के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि उसने निर्दिष्ट अर्थ के अनुसार कोयले के रूप में एक सामान्य शब्द का उपयोग किया है।

आम बोलचाल में।बिक्री कर आयुक्त, मध्य प्रदेश, इंदौर बनाम जसवंत सिंह चरण सिंह, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1454,

यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- "5. इन निर्णयों से जो परिणाम सामने आया है वह यह है कि अनुसूची II के भाग III की प्रविष्टि I में "कोयला" शब्द का अर्थ लगाते समय, जो परीक्षण लागू किया जाएगा, वह यह होगा कि कोयले से निपटने वाले व्यक्ति और इसे ईंधन के रूप में खरीदने वाले उपभोक्ता उस शब्द को क्या अर्थ देंगे।एक बिक्री कर कानून वह है जो वस्तुओं पर कर लगाता है, किसी तकनीकी शब्द या विज्ञान या कला के शब्द के अभाव में, यह माना जाना चाहिए कि सामान्य बोलचाल में इसके अर्थ के अनुसार कोयले के रूप में एक सामान्य शब्द का उपयोग किया गया है।उस दृष्टिकोण से देखने पर कोयले का कारोबार करने वाले

व्यापारी और इसे खरीदने के इच्छुक उपभोक्ता दोनों कोयले को इसके भूवैज्ञानिक अर्थों में नहीं बल्कि सामान्य रूप से समझे जाने वाले अर्थों में मानेंगे और इसमें "कोयला" शब्द में "लकड़ी का कोयला" शामिल होगा।यह तभी होगा जब कोयले के प्रकार या विविधता का सवाल उठेगा कि कोयला और लकड़ी के कोयले के बीच अंतर किया जाएगा; अन्यथा, दोनों को सामान्य बोलचाल में और अपने व्यावसायिक अर्थों में भी कोयले के रूप में बोला जाएगा।"

47. सामान्य के बिंदु पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम कनॉट प्लाजा रेस्तरां प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (2012) 13 एस. सी. सी.

239, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः– "33. इसलिए, उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से जो पता चलता है वह यह है कि सटीक शब्दों में वैधानिक परिभाषा के अभाव में; कर लगाने वाले कानूनों में शब्दों, प्रविष्टियों और वस्तुओं का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

उनकी वाणिज्यिक या व्यापारिक समझ के संदर्भ में, या उनके लोकप्रिय अर्थ के अनुसार।दूसरे शब्दों में उनका निर्माण इस अर्थ में किया जाना चाहिए कि कानून के विषय से परिचित लोग इसका श्रेय दें।ऐसी परिस्थितियों में वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थों के संदर्भ में कठोर व्याख्या का सहारा लेने से बचना चाहिए। हालाँकि, यह किसी भी तरह से एक पूर्ण नियम नहीं है।जब विधायिका ने एक विपरीत इरादा व्यक्त किया है, जैसे कि विशिष्ट, वैज्ञानिक या तकनीकी शब्दों में विशेष प्रविष्टि, शब्द या वस्तु की वैधानिक परिभाषा प्रदान करके, तो व्याख्या वैज्ञानिक और तकनीकी अर्थ के अनुसार होनी चाहिए, न कि आम बोलचाल की समझ के अनुसार।"

48. अल्पाइन इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय कलेक्टर के मामले में

आबकारी, नई दिल्ली (2003) 3 एस. सी. सी. 111, सवाल यह था कि क्या "लिप साल्वे" को त्वचा की देखभाल की तैयारी के रूप में या दवा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।इस उत्पाद की आपूर्ति मुख्य रूप से रक्षा विभाग को उच्च ऊंचाई पर तैनात सैन्य कर्मियों द्वारा उपयोग के लिए की गई थी।

क्षेत्रों।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता बनाम शर्मा

केमिकल वर्क्स (2003) 5 एस. सी. सी. 60, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्पाद शुल्क अधिनियम जैसे कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने में, उपयोगकर्ता द्वारा समझे गए लोकप्रिय अर्थ को लागू किया जाना चाहिए न कि वैज्ञानिक या तकनीकी अर्थ को।

49. जैसा कि जैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में कहा गया है, देश के अधिकांश हिस्सों में 'बाल तेल' के रूप में 'नारियल तेल' के भारी उपयोग के तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।आम तौर पर कोई भी 'नारियल तेल' का अर्थ केवल 'खाद्य तेल' के रूप में नहीं समझेगा क्योंकि यह 'खाद्य तेल' का प्रमुख उपयोग नहीं है।सामान्य बोलचाल परीक्षण और 'उत्पाद का अंतिम उपयोग' को लागू करते हुए, नारियल तेल को मुख्य रूप से उपयोगकर्ता अर्थात् विक्रेताओं/उपभोक्ताओं द्वारा केवल 'हेयर ऑयल' के रूप में समझा जाता है न कि 'खाद्य तेल' के रूप में और इसलिए, केवल अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और अध्याय 15 के तहत नहीं।

50. संशोधन के बाद (डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005) जो प्रासंगिक है वह है

वर्गीकरण के लिए 'बाल तेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान की उपयुक्तता'

33.05 के तहत भी ऐसा ही है।'बाल तेल' के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त छोटे थैलों/पात्रों में पैक किया गया 'नारियल तेल' अध्याय शुल्क वस्तु 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।जब किसी वस्तु को धारा 6 की संशोधित धारा 2 के आधार पर शुल्क मद 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसी अन्य वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर विचार करके और 'सामान्य बोलचाल परीक्षण' को भी लागू करते हुए, छोटे थैलों/पात्रों में पैक किए गए नारियल तेल को विक्रेताओं/उपभोक्ताओं द्वारा बाजार में 'हेयर ऑयल' के रूप में समझा जाता है, जिसे अध्याय 33, टैरिफ आइटम 33 05 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।एम. ए. आई. पी. एल. के मामले में, 'बाल तेल' के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त छोटे थैलों/पात्रों में पैक किए गए 'नारियल तेल' को अध्याय 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।'पैराशूट' के मामले में, इसे रिकॉर्ड पर रखी गई विभिन्न सामग्रियों और 'हेयर ऑयल, हेयर लोशन आदि' से जुड़े इसके ट्रेडमार्क No.1033842 क्लास–3 पैराशूट के पंजीकरण द्वारा और मजबूत किया जाता है।"

51. री. विषय–वस्तु एच. एस. एन. अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 के लिए टिप्पणियाँ वही हैं जो संशोधन से पहले थीं:– न्यायाधिकरण ने कहा

कि "अध्याय 33 के लिए एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ पहले समान थीं और

28.02.2005 के बाद।"इसके अलावा, एचएसएन में 'नारियल तेल' से संबंधित अध्याय 15 के तहत नोट और 28.02.2005 के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी समान हैं।निर्धारिती के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बगारिया ने आग्रह किया कि अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 में संशोधन द्वारा लाए गए परिवर्तनों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि अध्याय 33 के अध्याय नोट 3 में एच. एस. एन. नोट ठीक वैसा ही है जैसा संशोधन से

पहले केंद्रीय उत्पाद शुल्क में था।यह प्रस्तुत किया गया था कि एच. एस. एन. में व्याख्यात्मक टिप्पणियों ने अध्याय 33 के अध्याय टिप्पणी 3 के उद्देश्य, अर्थ, दायरे और प्रभाव को स्पष्ट किया है।यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एच. एस. एन. पर आधारित है, इसलिए शुल्क वर्गीकरण से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने के लिए एच. एस. एन. एक सुरक्षित मार्गदर्शक है।इस संबंध में केंद्रीय कलेक्टर पर निर्भरता रखी गई है।

आबकारी, शिलांग बनाम वुड्स क्राफ्ट प्रोडक्ट लिमिटेड। (1995) 3 एस. सी. सी. 454, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2008) 17 एस. सी. सी. 569 और ओ. के. प्ले (इंडिया) लिमिटेड बनाम।केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली-3, गुड़गांव (2005) 2 एससीसी

52. शुल्क नामकरण की सामंजस्यपूर्ण वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली (एच. एस.), जिसे आम तौर पर "नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एच. एस. एन.)" के रूप में जाना जाता है, व्यापार उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए नामों और संख्याओं की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रणाली है, जिसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यू. सी. ओ.) (पूर्व में सीमा शुल्क सहयोग परिषद), एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी संगठन द्वारा विकसित और बनाए रखा जाता है।

संगठन [स्रोतःविश्व सीमा शुल्क संगठनःएचटीटीपीः//वेबसाइट।वाह वाह।org/en/विषयों/नामकरण/अवलोकन/क्या है -

द-हार्मोनाइज्ड-सिस्टम।एएसपीएक्स]।एच. एस. एन. के साथ, हैं

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ।वे सामंजस्यपूर्ण प्रणाली समझौते का एक अभिन्न अंग नहीं हैं।हालाँकि, जैसा कि डब्ल्यू. सी. ओ. परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की आधिकारिक व्याख्या का गठन करते हैं और प्रणाली के लिए एक अनिवार्य पूरक हैं।

[विश्व सीमा शुल्क परिषद, यहाँ से प्राप्त किया गयाःएचटीटीपीः//वेबसाइट।वाह वाह। ओआरजी/एन/टॉपिक/नामकरण/इंस्ट्रूमेंट-एंड-टूल्स/टूल्स-टू-असिस्ट-विद-द-क्लासिफिकेशन-इन-द-एचएस/एक्सप्लेनेटरी-नोट्स।एएसपीएक्स]।

53. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (सी. ई. टी. ए.) नामकरण की सुसंगत प्रणाली (एच. एस. एन.) पर आधारित है, जो शुल्क व्यापार पर सामान्य समझौते (जी. ए. टी. टी.) के तत्वावधान में तैयार की गई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उत्पाद कोडिंग प्रणाली है।के आयुक्त में

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गोवा बनाम फिल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2008)

17 एस. सी. सी. 569, इस न्यायालय ने एच. एस. एन. को निम्नानुसार समझायाः29. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम मोटे तौर पर आवश्यक संशोधनों के साथ ब्रसेल्स कन्वेंशन ऑन द हारमोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम (हारमोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर) नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से वर्गीकरण की प्रणाली पर आधारित है।एच. एस. एन. में उन सभी संभावित वस्तुओं की सूची होती है जिनका व्यापार किया जाता है (पशु, मानव, बाल आदि सहित) और इस तरह किसी वस्तु के उल्लेख का इससे कोई लेना–देना नहीं है कि वह निर्मित है या कर योग्य है या नहीं।

54. एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रत्येक शीर्षक के दायरे पर एक टिप्पणी प्रदान करती हैं, जिसमें शामिल और बहिष्कृत मुख्य उत्पादों की एक सूची दी गई है, साथ ही संबंधित वस्तुओं का तकनीकी विवरण (उनकी उपस्थिति, गुण, उत्पादन और उपयोग की विधि) और उनकी पहचान के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया है।व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जहां भी उपयुक्त हो, विशेष उप–शीर्षकों के दायरे को भी स्पष्ट करती हैं। हालांकि, एच. एस. एन. या उस पर स्पष्टीकरण नोट टैरिफ अनुसूची में निहित प्रासंगिक नोटों का स्थान नहीं ले सकते हैं।सन्देह के मामलों में एक सुरक्षित मार्गदर्शक के रूप में उन पर भरोसा किया जा सकता है।

55. हाथ में मामले में, हम वस्तुओं के वर्गीकरण से संबंधित हैं–दो अध्यायों के बीच 'नारियल तेल' दोनों केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची के भीतर आते हैं।उचित मूल्यांकन के लिए, हम उपयोगी रूप से सी. ई. टी. ए. टैरिफ टिप्पणियों के अध्याय 33 और अध्याय 33 से संबंधित प्रासंगिक एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैंः

एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	सीईटीए टैरिफ नोट
अध्याय 33 आवश्यक तेल और रेज़िनोइड्स; इत्र, प्रसाधन या शौचालय तैयारी अध्याय टिप्पणियाँः . 3. 33.03 से 33.07 शीर्षक, अन्य बातों के	अध्याय 33 आवश्यक तेल और रेज़िनोइड्स, इत्र, प्रसाधन या शौचालय की तैयारी टिप्पणियाँः . 3. 3303 से 3307 तक का शीर्षक, अन्य बातों के साथ–साथ,

साथ–साथ, उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं। सामान्य. 33.03 से 33.07 तक के शीर्षकों में उत्पाद शामिल हैं, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे उपयोग के लिए खुदरा द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं (इस अध्याय का नोट 3 देखें)। 33.03 से 33.07 तक के	उत्पादों पर लागू होता है, चाहे वे मिश्रित हों या न हों (जलीय आसवन और आवश्यक तेलों के जलीय घोल के अलावा), जो इन शीर्षकों के सामान के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे उपयोग के लिए खुदरा विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में रखे जाते हैं।

शीर्षकों के उत्पाद इन शीर्षकों में बने रहते हैं, चाहे उनमें सहायक दवा या कीटाणुनाशक घटक हों या नहीं, या उन्हें सहायक चिकित्सीय या रोगनिरोधी मूल्य के रूप में माना जाता है (नोट 1 (डी) से अध्याय 30 देखें)। हालांकि, तैयार कमरे के दुर्गन्धनाशकों को 33.07 शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही उनमें सहायक प्रकृति से अधिक कीटाणुनाशक गुण हों। तैयारी (जैसे वार्निश) और मिश्रित उत्पाद (जैसे बिना सुगंधित पाउडर टैल्क, फुलर की मिट्टी, एसीटोन, फिटकरी) जो ऊपर वर्णित लोगों के अलावा अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें इन शीर्षकों में केवल तभी वर्गीकृत किया जाता है जब वे हैं:	

(ए) उपभोक्ता को बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में और लेबल, साहित्य या अन्य संकेतों के साथ कि वे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी के रूप में या कमरे के दुर्गन्धनाशक के रूप में उपयोग के लिए हैं; या (बी) इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट रूप में रखें (जैसे कि वार्निश लगाने के लिए आवश्यक ब्रश से सुसज्जित छोटी बोतलों में नाखून वार्निश लगाएं)।	

33.05–बालों पर उपयोग के लिए तैयारी। इस शीर्षक में शामिल हैं: – 1.2.3.4। बालों की अन्य तैयारी, जैसे कि ब्राइटलाइन, बालों का तेल, क्रीम ("पोमेड्स") और	3305–बालों पर उपयोग की तैयारी. 3305 90–अन्य–बालों का तेल

ड्रेसिंग, बालों के रंग और बालों पर उपयोग किए जाने वाले ब्लीच; क्रीम–धोने।	

56. जहाँ तक अध्याय नोट 3 से अध्याय 33 तक, सी. ई. टी. ए. संशोधन अधिनियम, 2004 में एच. एस. एन. के समान अध्याय नोट है। हालांकि, एच. एस. एन. की सामान्य व्याख्या उपभोक्ता को बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग के संबंध में अध्याय 33 के तहत उत्पाद को वर्गीकृत करने के लिए आगे की शर्तों को जोड़ती है और लेबल और साहित्य के साथ रखती है कि वे ऐसे उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए हैं।इसे दूसरे शब्दों में रखने के लिए, एच. एस. एन. में निहित अध्याय नोट 3 से अध्याय 33 तक, उक्त एच. एस. एन. नोट्स के लिए सामान्य स्पष्टीकरण में कुछ शर्तें रखी गई हैं, अर्थातः–

(ए) [जब माल] उपभोक्ता को बेचे जाने वाले प्रकार के पैकेजिंग में और लेबल, साहित्य या संकेतों के साथ लगाया जाता है कि वे इत्र, सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी के रूप में या कमरे में दुर्गन्धनाशक के रूप में उपयोग के लिए हैं; या

(ख) इस तरह के उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से विशिष्ट फॉर्म में रखें (उदाहरण के लिए, वार्निश लगाने के लिए आवश्यक ब्रश से सुसज्जित छोटी बोतलों में नाखून वार्निश लगाएं)।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्व–संशोधित अनुसूची (सी. ई. टी. ए. संशोधन से पहले) में भी एच. एस. एन. नोटों के समान कठोरता थी जैसे कि

"उत्पाद के लिए लेबल और साहित्य की आवश्यकता होती है जिसमें विशेष उत्पाद भी शामिल हैं।

(अध्याय टिप्पणी 2 से अध्याय 33 तक) का उपयोग करें।हालांकि, संशोधन ए के बाद

28.02.2005 के प्रभाव से, संसद ने सचेत रूप से इस शीर्षक के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए समान कठोरता को लागू या नहीं रखने का फैसला किया और उसे हटा दिया।संसद ने जानबूझकर और सचेत रूप से सी. ई. टी. ए. की टैरिफ अनुसूची के अध्याय 33 के नए (पुनः क्रमांकित) अध्याय नोट 3 में इन शर्तों को हटा दिया। इसलिए, इन शर्तों को लागू करना, संशोधन के बाद संसद के इरादे के खिलाफ होगा।इसलिए, वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए एच. एस. एन. चैप्टर नोट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, बल्कि सी. ई. टी. ए. टैरिफ चैप्टर नोट पर विचार किया जाना चाहिए।

57. प्रासंगिक एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ और प्रतिस्पर्धी सी. ई. टी. ए. प्रशुल्क टिप्पणियाँ, जहाँ तक धारा 6 की धारा 2 की बात है, निम्नानुसार हैंः–

एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	सीईटीए टैरिफ नोट
रासायनिक या संबद्ध उद्योग खंड टिप्पणियों की धारा VI उत्पाद। . 2. उपरोक्त टिप्पणी 1 के अधीन, मापी गई खुराक में या खुदरा बिक्री के लिए रखे जाने के कारण शीर्ष संख्या 30.04,30.05, 30.06,32.12, 33.03,33.04, 33.05,33.06, 33.07,35.06, 37.07 या 38.08 में वर्गीकृत वस्तुओं को उन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाना है और नामकरण के किसी अन्य शीर्षक में नहीं। 3. दो या दो से अधिक अलग–अलग घटकों वाले सेटों में रखी गई वस्तुओं, जिनमें से कुछ या सभी इस धारा में आते हैं और जिन्हें धारा VI या VII का	धारा VI संशोधन टिप्पणियों के बाद रासायनिक या संबद्ध उद्योगों के उत्पादः . 2. उपरोक्त टिप्पणी 1 के अधीन, मापी गई खुराक में या खुदरा बिक्री के लिए रखे जाने के कारण शीर्षकों 3004,3005,3006,3212,3303,3304,3305,3306,3307,3506,3707 या 3308 में वर्गीकृत वस्तुओं को उन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाना है और इस अनुसूची के किसी अन्य शीर्ष में नहीं।

उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलाया जाना है, को उस उत्पाद के लिए उपयुक्त शीर्षक में वर्गीकृत किया जाना है, बशर्ते कि घटक हैंः – (ए) जिस तरीके से उन्हें रखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है कि पहले उन्हें फिर से पैक किए बिना एक साथ उपयोग करने का इरादा है; (बी) एक साथ प्रस्तुत किया गया है; और (सी) पहचान योग्य, चाहे उनकी प्रकृति से या सापेक्ष अनुपात से जिसमें वे मौजूद हैं, एक दूसरे के पूरक होने के रूप में।	

सामान्य खंड टिप्पणी 1. सेक्शन नोट 2 सेक्शन नोट 2 में यह	

प्रावधान है कि जिन वस्तुओं (शीर्षकों 28.43 से 28.46 में वर्णित वस्तुओं के अलावा) को मापी गई खुराक में या खुदरा बिक्री के लिए रखे जाने के कारण उन शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाना है, भले ही वे नामकरण के किसी अन्य शीर्षक में भी आ सकते हों। उदाहरण के लिए, चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए खुदरा बिक्री के लिए रखे गए सल्फर को शीर्षक 30.04 में वर्गीकृत किया जाता है न कि शीर्षक 25.03 या 28.02 में, और खुदरा बिक्री के लिए रखे गए डेक्सट्रिन को गोंद के रूप में शीर्षक 35.06 में वर्गीकृत किया जाता है न कि शीर्षक 35.05 में।	

58. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, सी. ई. टी. ए. संशोधन अधिनियम, 2004 ने धारा नोट 2 को धारा VI में संशोधित किया। इन शीर्षकों के तहत किसी उत्पाद को वर्गीकृत करने के लिए रखी गई कठोरता सी. ई. टी. ए. में प्रचलित नहीं है, हालांकि वे एच. एस. एन. में प्रचलित हैं। विधायिका ने जानबूझकर एच. एस. एन.

व्याख्यात्मक टिप्पणियों में रखी गई शर्तों और कठोरताओं को आयात नहीं करने का फैसला किया और एच. एस. एन. में पाए जाने वाले निम्नलिखित को धारा VI की संशोधित धारा टिप्पणी 2 में जगह नहीं मिलती हैः–

"(ए) जिस तरीके से उन्हें रखा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य है कि पहले फिर से पैक किए बिना एक साथ उपयोग करने का इरादा है;

(ख) एक साथ प्रस्तुत किया गया; और

(ग) पहचान योग्य, चाहे वे अपनी प्रकृति से हों या सापेक्ष अनुपात से जिसमें वे मौजूद हैं, एक दूसरे के पूरक होने के रूप में।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि धारा VI के लिए एच. एस. एन. सामान्य व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ कुछ हद तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की शुल्क अनुसूची में निहित टिप्पणियों के साथ टकराव में हैं। इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में निहित नोट एच. एस. एन. में निहित नोटों पर हावी होंगे।

59. केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, शिलांग बनाम वुड्स क्राफ्ट उत्पाद लिमिटेड (1995) 3 एस. सी. सी. 454, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एच. एस. एन. व्याख्या के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक है और बड़े विचार का हकदार है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः–

"12. यह महत्वपूर्ण है, जैसा कि वस्तुओं और कारणों के विवरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एच. एस. एन. पर आधारित हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकरण को "शुल्क वर्गीकरण के कारण विवादों को कम करने" के लिए ध्यान में रखा गया था।तदनुसार, शुल्क वर्गीकरण से संबंधित किसी भी विवाद को हल करने के लिए, एच. एस. एन. से उभरने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकरण एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। यह अधिनियम में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की संरचना और उसमें किए गए शुल्क वर्गीकरण का स्पष्ट रूप से स्वीकृत आधार होने के कारण, किसी भी संदेह के मामले में एच. एस. एन. अधिनियम में उपयोग की गई किसी भी अभिव्यक्ति के सही अर्थ का पता लगाने के लिए एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। आई. एस. आई. शब्दावली की शर्तों का एक अलग उद्देश्य है और इसलिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 को लागू करने के लिए शुल्क वर्गीकरण के विशिष्ट उद्देश्य, जिसके लिए एच. एस. एन. में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकरण को अपनाया गया है, को एच. एस. एन. में दी गई अभिव्यक्ति के अर्थ और आई. एस. आई. की शर्तों की शब्दावली में दिए गए शब्द के अर्थ के बीच किसी भी अंतर के मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

60. हालांकि, कैमलिन लिमिटेड बनाम.केंद्रीय आयुक्त आबकारी, मुंबई (2008) 9 एस. सी. सी. 82, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि एच. एस. एन. के अधीन प्रविष्टियाँ और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन प्रविष्टियाँ भिन्न हैं तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत वस्तुओं के वर्गीकरण के प्रयोजनों

के लिए एच. एस. एन. नोटों पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:–

"24. हमारे सुविचारित विचार में, न्यायाधिकरण ने मार्कर स्याही के उद्देश्य से एच. एस. एन. पर भरोसा करके उन्हें उक्त शुल्क के अध्याय उप–शीर्ष 3215.90 के तहत वर्गीकृत करने में गलती की।न्यायाधिकरण यह समझने में विफल रहा कि एच. एस. एन. के तहत प्रविष्टियां और उक्त शुल्क के तहत प्रविष्टियां पूरी तरह से अलग हैं।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह तय किया स्थापित विधि है कि जब एच. एस. एन. और उक्त शुल्क में प्रविष्टियां संरेखित नहीं होती हैं, तो उक्त शुल्क के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण के उद्देश्य से एच. एस. एन. पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।जिन कारकों पर न्यायाधिकरण अपने निष्कर्ष पर आधारित है, उनमें से एक एच. एस. एन. में प्रविष्टियाँ हैं। इसलिए, न्यायाधिकरण के आदेश में उक्त निष्कर्ष को दूषित किया जाता है और तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।हम आयुक्त (अपील) द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत हैं।"

61. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, सी. ई. टी. ए. में संशोधन के बाद, एच. एस. एन. में प्रदान किए गए प्रासंगिक नोटों के बीच सी. ई. टी. ए., 1985 की टैरिफ अनुसूची में प्रदान किए गए नोटों के बीच एक भौतिक अंतर है।एच. एस. एन. में दिए गए सामान्य स्पष्टीकरण को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे एच. एस. एन. में टिप्पणियों की व्याख्या करने के लिए खड़े हैं जो सी. ई. टी. ए. की टैरिफ अनुसूची में निहित टिप्पणियों से भौतिक रूप से अलग हैं। संघर्ष के मामलों में, सी. ई. टी. ए. की टैरिफ अनुसूची में निहित नोट एच. एस. एन. पर हावी होंगे। जिन कारकों के आधार पर न्यायाधिकरण ने अपना निष्कर्ष निकाला, उनमें से एक एच. एस. एन. में प्रविष्टियाँ और इसका अवलोकन था कि एच. एस. एन. में अध्याय 33 की प्रविष्टियाँ और अध्याय 33 के सी. ई. टी. ए. टैरिफ नोट्स संशोधन के बाद भी एक ही हैं।मेरे विचार में, न्यायाधिकरण ने कैमलिन लिमिटेड मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखते हुए गलती की कि जब एच. एस. एन. और टैरिफ में नोट संरेखित नहीं हैं, तो माल के वर्गीकरण के उद्देश्य से एच. एस. एन. पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

62. सर्कुलर No.145/56/95–CX दिनांकित 31.08.1995 जारी किया गया था

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत 'नारियल तेल' के वर्गीकरण के संदर्भ में जो संशोधन से पहले मौजूद था।उक्त परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अध्याय 33 ('बाल तेल' के रूप में) के तहत 'नारियल तेल' के वर्गीकरण के लिए, इसे अध्याय 33 के अध्याय नोट 2 की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।उक्त परिपत्र के अनुसार, हालांकि 'नारियल तेल' का उपयोग 'बाल तेल' के रूप में किया जा सकता है, उत्पाद को नोट 2 से अध्याय 33 के अनुसार 'नारियल तेल' की पैकिंग पर लेबल/साहित्य के मानदंडों को पूरा करना चाहिए, जिसमें इसका उपयोग 'बाल तेल' के रूप में दिखाया गया है।31.08.1995 दिनांकित परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:–

"6. सी. ई. टी. शीर्षक 3305 में" "बालों पर उपयोग के लिए तैयारी" "शामिल है।"

9. इसलिए, अध्याय टिप्पणियों, एच. एस. एन टिप्पणियों, 1991 के टैरिफ सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए, डी. जी. की रिपोर्ट। (ए. ई.) और मुख्य रसायनज्ञ, सी. आर. सी. एल. की राय यह महसूस की जाती है कि नारियल का तेल चाहे शुद्ध हो या परिष्कृत और चाहे छोटे या बड़े पात्रों में पैक किया गया हो, शीर्षक No.1503 के तहत वर्गीकरण के योग्य है, जब तक कि यह अध्याय 15 के अध्याय नोट 3 में निर्धारित 'निश्चित वनस्पति तेल' के मानदंडों को पूरा करता है।यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पात्रों पर लेबल/साहित्य, आदि हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यह बालों पर लगाने के लिए है, जैसा कि अध्याय 33 के नोट 2 के तहत निर्दिष्ट किया गया है और/या यदि नारियल तेल में ए है एडिटिव्स (बी. एच. ए. के अलावा) या ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं जिन्होंने इसे बालों पर उपयोग के लिए तैयार किया है जैसा कि अध्याय 33 के अध्याय नोट 6 में उल्लेख किया गया है तो नारियल का तेल अध्याय 33 के तहत वर्गीकरण के योग्य हो सकता है।"

63. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीबीईसी ने परिपत्र संख्या 145/56/95–सीएक्स दिनांकित 31.08.1995 को वापस लेते हुए परिपत्र No.102/05/2006–CX–3 दिनांकित 03.06.2009 जारी किया।संशोधन और पुराने और नए अध्याय टिप्पणियों और अनुभाग टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद, परिपत्र में कहा गया है कि 200 मिली तक के आकार के छोटे पात्रों में पैक किए गए 'नारियल तेल' को शीर्ष 3305 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः– "5. इसलिए, चैप्टर नोट और सेक्शन नोट के संशोधन/सम्मिलन को देखते हुए, नारियल तेल का वर्गीकरण इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि अधिकांश ग्राहक उक्त उत्पाद का उपयोग कैसे करते हैं।इसलिए, यदि नारियल तेल को ऐसे पैकेजों में पैक किया जाता है जो आम तौर पर बाल तेल के रूप में खुदरा में बिक्री के लिए होते हैं, तो उस मामले में, उक्त उत्पाद को 3305 शीर्षक के तहत बाल तेल के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, भले ही कुछ उपभोक्ता इसे खाद्य तेल के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से, यह पता चला है कि 200 मिलीलीटर के आकार तक के छोटे पैक का उपयोग आम तौर पर ग्राहकों द्वारा बाल तेल के रूप में किया जाता है।यह भी बताया गया है कि 200 मिली तक के छोटे पैक आकार में अन्य बाल तेल देखभाल की तैयारी/सौंदर्य प्रसाधनों के साथ स्टैक किए जाते हैं और खुदरा दुकानों में खाद्य तेल अनुभाग में नहीं।पूछताछ से यह भी पता चलता है कि बालों की देखभाल की अलमारियों में प्रदर्शित नारियल तेल के छोटे पैक का उपयोग केवल बालों के तेल के रूप में किया जाता है और ग्राहक छोटे पैकेज या पाउच को 'बालों के तेल' के रूप में उपयोग करने के लिए पूछता है।

6. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि 200 मिली तक के पात्रों में पैक किए गए नारियल तेल को आम तौर पर बालों के तेल के रूप में उपयोग किया जा सकता है।यह छोटे पात्रों में बेचे जाने वाले नारियल तेल के संबंध में मूल्यांकन में एकरूपता लाएगा, भले ही इस तथ्य की परवाह किए बिना

कि बाल तेल के रूप में इसका उपयोग पात्रों/लेबलों पर इंगित किया गया है या नहीं।इसलिए, निम्नलिखित निर्देश/निर्देश जारी किए जाते हैंः–

(i) परिपत्र सं. 145/56/95–CX दिनांकित 31.08.1995 वापस ले लिया गया है।(ii) 200 मिली तक के आकार के छोटे पात्र में पैक किए गए नारियल तेल को 3305 शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।"

64. राज ऑयल मिल्स लिमिटेड बनामआयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 2014 (314) ई. एल. टी. 541 (ट्राई.–मुंबई), यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'खाद्य श्रेणी के नारियल तेल' को थोक पैक से 200 मिली और उससे कम के खुदरा पैक में फिर से पैक करना केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, जिसमें "सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय की तैयारी" शामिल है, बल्कि इसे निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः

अध्याय 15 जिसमें पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके खाद्य पदार्थ शामिल हैं।

दरार वाले उत्पाद "।राज मिल्स लिमिटेड मामले में न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए, 2014 के सी. ए. संख्या 2023–37 में राजस्व द्वारा दायर अपीलों को 17.12.2014 पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित करके खारिज कर दिया गयाः–

"1. हमने राजस्व की ओर से पेश होने वाले विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को सुना है।

2. देरी को माफ कर दिया गया।

3. हम दीवानी अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।दीवानी अपील खारिज कर दी जाती हैं।"

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, 03.06.2009 दिनांकित परिपत्र को एक अन्य परिपत्र No.103/01/2015–CX–3 दिनांक 12.10.2015 द्वारा वापस ले लिया गया था।अब, दिनांकित 12.10.2015 परिपत्र के अनुसार 'नारियल तेल' के वर्गीकरण के मुद्दे पर न्यायिक घोषणाओं के साथ पढ़े गए मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र द्वारा निर्णय लिया जाना है।केवल इसलिए कि 200 मिली या उससे कम के खुदरा पैकेट का 'नारियल तेल' केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अध्याय 33 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और राजस्व द्वारा दायर दीवानी अपीलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अंतिम रूप ले चुका है।जैसा कि पहले बताया गया है, राजस्व द्वारा पसंद की गई दीवानी अपीलों को प्रवेश स्तर पर एक गैर–भाषी आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था और इसलिए, "विलय का सिद्धांत" लागू नहीं होता है।जब उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक बोलने वाला आदेश नहीं है, तो यह मान लेना सही नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के गुण–दोष के संबंध में सभी प्रश्नों का निहित रूप से निर्णय लिया था।अब, स्थिति (दिनांकित परिपत्र 12.10.2015 के अनुसार) न्यायिक

घोषणाओं के साथ पढ़े गए मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र द्वारा वर्गीकरण के मुद्दे पर निर्णय लेना है।

65. निष्कर्षः न्यायाधिकरण के विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और राजस्व द्वारा पसंद की जाने वाली अपीलों को निम्नलिखित निष्कर्षों के साथ अनुमति दी जाती हैः–

i. न्यायाधिकरण का यह अभिनिर्णय सही नहीं है कि अध्याय 15 में खाद्य और गैर–खाद्य दोनों प्रकार के 'नारियल तेल' की सभी किस्में शामिल हैं।निर्णय ए पर निर्भर थे

न्यायाधिकरण और बोर्ड का परिपत्र दिनांक 31.08.1995 2004 के संशोधन से पहले का था।न्यायाधिकरण ने अपने निष्कर्ष को आधार बनाने के लिए संशोधन से पहले के पहले के आदेशों/परिपत्र पर भरोसा करना सही नहीं था कि नारियल तेल अध्याय 15 के तहत खाद्य और गैर–खाद्य दोनों गुणों का वर्गीकरण करता है। अतः न्यायाधिकरण के विवादित आदेशों को दरकिनार किया जा सकता है।ii. संशोधन के बाद (डब्ल्यू. ई. एफ. 28.02.2005) जो प्रासंगिक है वह है

'बाल तेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले माल की उपयुक्तता' के लिए

इसे 33.05 के तहत वर्गीकृत करना।'बाल तेल' के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त छोटे थैलों/पात्रों में पैक किया गया 'नारियल तेल' अध्याय शुल्क वस्तु 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।जब किसी वस्तु को धारा 6 की संशोधित धारा 2 के आधार पर शुल्क मद 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो किसी अन्य वर्गीकरण की अनुमति नहीं है।iii. नियम 3 (ए) में कहा गया है कि सबसे विशिष्ट विवरण को अधिक सामान्य विवरण की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।वर्तमान मामले में, जब आइटम विवरण को अध्याय टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाता है, तो अनुभाग टिप्पणियाँ और वर्गीकरण के लिए परीक्षण जो कि टैरिफ आइटम 1513.19.00 और 3305.90.19 हैं, समान रूप से विशिष्ट होते हैं।इसलिए, नियम 3 (सी) के अनुसार, जब वस्तुओं को (ए) या (बी) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाएगा जो संख्यात्मक क्रम में उन लोगों के बीच अंतिम होता है जो समान रूप से वर्गीकरण के योग्य हैं।इसलिए, प्रत्यर्थीगणओं द्वारा निर्मित नारियल तेल को सही शीर्षक 3305.90.19 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि यह शुल्क के संख्यात्मक क्रम में अंतिम होता है।

iv.अभिलेख पर रखी गई सामग्री पर विचार करके और 'कॉमन पार्लेन्स टेस्ट' लगाते हुए, नारियल का तेल पैक किया जाता है विक्रेताओं/उपभोक्ताओं द्वारा बाजार में 'हेयर ऑयल' के रूप में समझे जाने वाले छोटे पाउच/कंटेनरों को अध्याय 33, शुल्क के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।

मद 33 05।

v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन के बाद (से. 28.02.2005), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की टैरिफ अनुसूची में दिए गए स्पष्टीकरण टिप्पणियों की तुलना में एच. एस. एन. में प्रासंगिक स्पष्टीकरण टिप्पणियों के बीच भौतिक अंतर है।जैसा कि आयोजित किया गया है **कैमलिन लिमिटेड बनामकेंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई** (2008) 9 एस. सी. सी. 82, जब एच. एस. एन. में व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ और नोट शुल्क अनुसूची संरेखित नहीं हैं, तो वस्तुओं के वर्गीकरण के उद्देश्य से एच. एस. एन. पर निर्भरता नहीं रखी जा सकती है।

vi.एम. ए. आई. पी. एल. के मामले में, 'बाल तेल' के रूप में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त छोटे थैलों/पात्रों में पैक किए गए 'नारियल तेल' को अध्याय 3305 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है।'पैराशूट' के मामले में, इसे रिकॉर्ड पर रखी गई विभिन्न सामग्रियों और 'हेयर ऑयल, हेयर लोशन आदि' से जुड़े इसके ट्रेडमार्क No.1033842 क्लास–3 पैराशूट के पंजीकरण द्वारा और मजबूत किया जाता है।"

vii.2014 के सी. ए. संख्या 2023–37 (दिनांक 17.12.2014) में गैर–भाषी आदेश द्वारा प्रवेश स्तर पर राजस्व द्वारा पसंद की गई अपीलों को खारिज करने के लिए, 'विलय का सिद्धांत' लागू नहीं होता है।

ओ आर डी ई आर

वर्तमान अपीलों में हमारे द्वारा सुनाए गए निर्णयों के संदर्भ में मतभेद को देखते हुए, रजिस्ट्री को उचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उक्त अपीलों को रखने का निर्देश दिया जाता है।

देविका गुजराल

उचित आदेशों के लिए माननीय सीजेआई के समक्ष रखने के निर्देश।

1 2014 (314) ई. एल. टी. 541 (न्यायाधिकरण)

2 (1995) 3 एससीसी 454

3 (2008) 17 एससीसी 569

4 (2005) 2 एससीसी 460

5 1981 (8) ई. एल. टी. 325 (एस. सी.)

6 1988 (35) ई. एल. टी. 3 (एस. सी.)

7 (1996) 9 एस. सी. सी. 402

8 (2003) 3 एस. सी. सी. 111 ए

9 (1996) 9 एससीसी 402

10 (2008) 9 एससीसी 82

11 (2000) 5 एस. सी. सी. 373